

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

संपदा शाखा  
को प्रस्तुत किये जाने  
वाले समस्त  
आवेदनपत्रों के  
निर्धारित  
प्रपत्र

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

संपदा शाखा को प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त आवेदनपत्रों के निर्धारित

**प्रपत्र**

विवरणिका

क्रमांक	सेवा का नाम/ प्रपत्र का नाम	प्रपत्र क्रमांक	पृ.क्र.
1	मॉर्गेज अनापत्ति	आवेदन-1	5
		घोषणा-1.1	6
		प्रतिनिधि पत्र-1	7
2	विक्रय अनुमति अनापत्ति	आवेदन-2	8
		घोषणा-2.1	9
		प्रतिनिधि पत्र-1	10
3	भवन अनुज्ञा हेतु अनापत्ति	आवेदन-3	11
		घोषणा-3.1	12
		प्रतिनिधि पत्र-1	13
4	कमजोर आय वर्ग हितग्राही की इ.वि.प्रा. में संपत्तिधारित होने/न होने का प्रमाण पत्र	आवेदन-4	14
		घोषणा-4.1	15
		प्रतिनिधि पत्र-1	16
5	किश्तों की चूक से निरस्त संपत्ति आवंटन पुनर्जीवित करना	आवेदन-5	17
		घोषणा-5.1	18
		प्रतिनिधि पत्र-1	19
6	पुनर्जीवित आवंटन के लिये पुनरीक्षित मांगपत्र बाबद	आवेदन-6	20
		प्रतिनिधि पत्र-1	21
7	20 गुना लीज जमा प्रमाण पत्र	आवेदन-7	22
		प्रतिनिधि पत्र-1	23
8	किश्त की राशि पे-आर्डर अथवा डी.डी. से जमा करना प्रीमियम की नियमित किश्तों के अतिरिक्त राशि जमा करना प्रीमियम की शेष किश्तों की राशि एकमुश्त जमा करना	आवेदन-8.1	24
		प्रतिनिधि पत्र-1	25
		आवेदन-8.2	26
		प्रतिनिधि पत्र-1	27
		आवेदन-8.3	28
प्रतिनिधि पत्र-1	29		
9	पता परिवर्तन	आवेदन-9	30
		प्रतिनिधि पत्र-1	31
10	लीज नवीनीकरण करवाना	आवेदन-10	32
		घोषणा-10.1	33
		प्रतिनिधि पत्र-1	34
11	लीजहोल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन	आवेदन-11	35-36
		घोषणा-11.1	37
		(शपथ-11.2	38
		प्रतिनिधि पत्र-1	39
12	प्रारंभिक राशि जमा करने हेतु, समयवृद्धि	आवेदन-12	40
		प्रतिनिधि पत्र-1	41

क्रमांक	सेवा का नाम/ प्रपत्र का नाम	प्रपत्र क्रमांक	पृ.क्र.
13	इकरारनामा तथा प्रथम वर्ष का लीज-रेंट जमा करना	आवेदन-13	42
		प्रतिनिधि पत्र-1	43
14	लीज विलेख पंजीयन (लीज डीड रजिस्ट्री)  * लीज विलेख का स्वच्छ प्रारूप प्रस्तुत करने बाबद्	आवेदन-14	44
		घोषणा-14.1	45
		प्रतिनिधि पत्र-1	46
		*आवेदन-14.2	47
15	पूर्ण-स्वामित्व विलेख पंजीयन (फ्री-होल्ड डीड रजिस्ट्री)  *पूर्ण-स्वामित्वविलेख का स्वच्छ प्रारूप प्रस्तुत करने बाबद्	आवेदन-15	48
		घोषणा-15.1	49
		प्रतिनिधि पत्र-1	50
		* आवेदन-15.2	51
16	संपत्ति की पुनर्नप्ती	आवेदन-16	52
		प्रतिनिधि पत्र-1	53
17	न्यूनतम निर्माण/पूर्ण निर्माण के संबंध में सूचना	आवेदन-17	54
		प्रतिनिधि पत्र-1	55
18	संपत्ति क्रय उपरान्त नामान्तरण 1. आवेदक का प्रतिनिधि पत्र 2. क्रेता का घोषणा पत्र 3. (क) क्रेता का शपथ पत्र 4. क्रेता का इकरारनामा 5. क्रेता का अभिवचन पत्र 6. (क) विक्रेता का अनापत्ति पत्र 7.(ख) प्रथम आम मुख्त्यार का अनापत्ति पत्र 8. (ग) द्वितीय आम मुख्त्यार का अनापत्ति पत्र 9. आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण 10. आम मुख्त्यार का शपथ पत्र योजना क्रमांक 78 हेतु अतिरिक्त दस्तावेज 11. (ख) क्रेता का शपथ पत्र 12. क्रेता द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख 13. क्रेता का आय/निम्न आय वर्ग का प्रमाण पत्र 14. नामान्तरण हेतु संलग्न दस्तावेजों की सूची	आवेदन-18	56
		प्रतिनिधि पत्र-1	57
		घोषणा-18.1	58
		शपथ-18.2(क)	59
		इकरारनामा-18.3	60
		अभिवचन-18.4	61
		अनापत्ति-18.5(क)	62
		अनापत्ति-18.5(ख)	63
		अनापत्ति-18.5(ग)	64
		हस्ता.प्रमाण-18.6	65
		शपथ-18.7	66
		शपथ-18.2(ख)	67
		क्षतिपूर्ति-18.8	68
		आयप्रमाण-18.9	69
संलग्न-18.10	70		
19	मृत्यु अंतरण (वसीयत वाले प्रकरण) 1. आवेदक का प्रतिनिधि पत्र 2. वसीयतधारी का घोषणा पत्र 3. (क) वसीयतधारी का शपथ पत्र 4. वसीयतधारी का इकरारनामा 5. वसीयतधारी का अभिवचन पत्र 6. वसीयतनामा के गवाहों के शपथ-पत्र 7.वसीयतधारी हितग्राहियों का क्षतिपूर्ति लेख 8. हितग्राहियों के वैध वारिसों का क्षतिपूर्ति लेख 9. मृत्यु अंतरण (वसीयत प्रकरण) संलग्न दस्तावेजों की सूची	आवेदन-19	71
		प्रतिनिधि पत्र-1	72
		घोषणा-19.1	73
		शपथ-19.2(क)	74
		इकरारनामा-19.3	75
		अभिवचन-19.4	76
		शपथ-19.5	77
		क्षतिपूर्ति-19.6	78
		क्षतिपूर्ति-19.7	79
संलग्न-19.8	80		

क्रमांक	सेवा का नाम/ प्रपत्र का नाम	प्रपत्र क्रमांक	पृ.क्र.
20	मृत्यु अंतरण (बगैर वसीयत वाले प्रकरण)	आवेदन-20	81
	1. आवेदक का प्रतिनिधि पत्र	प्रतिनिधि पत्र-1	82
	2. वारिस का घोषणा पत्र	घोषणा-20.1	83
	3. वारिस का शपथ पत्र	शपथ-20.2	84
	4. वारिस का इकरारनामा	इकरारनामा-20.3	85
	5. वारिस का अभिवचन पत्र	अभिवचन-20.4	86
	6. वारिस का क्षतिपूर्ति लेख	क्षतिपूर्ति-20.5	87
7. मृत्यु अंतरण (बगैर वसीयत वाले प्रकरण) हेतु संलग्न दस्तावेजों की सूची	संलग्न-20.6	88	
21	आवंटन से अंतरण	आवेदन-21	89
	1. आवेदक का प्रतिनिधि पत्र	प्रतिनिधि पत्र-1	90
	2. क्रेता का घोषणा पत्र	घोषणा-21.1	91
	3. (क) क्रेता तथा विक्रेता का संयुक्त शपथ पत्र	शपथ-21.2(क)	92-93
	4. क्रेता का इकरारनामा	इकरारनामा-21.3	94
	5. क्रेता का अभिवचन पत्र	अभिवचन-21.4	95
	6. (क) विक्रेता का अनापत्ति पत्र	अनापत्ति-21.5(क)	96
	7.(ख) प्रथम आम मुख्त्यार का अनापत्ति पत्र	अनापत्ति-21.5(ख)	97
	8. (ग) द्वितीय आम मुख्त्यार का अनापत्ति पत्र	अनापत्ति-21.5(ग)	98
	9. आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण	हस्ता.प्रमाण-21.6	99
	10. आम मुख्त्यार का शपथ पत्र	शपथ-21.7	100
	योजना क्रमांक 78 हेतु अतिरिक्त दस्तावेज		
	11. (ख) क्रेता का शपथ पत्र	शपथ-21.2(ख)	101
	12. क्रेता द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख	क्षतिपूर्ति-21.8	102
13. क्रेता का आय/निम्न आय वर्ग का प्रमाण पत्र	आयप्रमाण-21.9	103	
14 आवंटन से अंतरण हेतु संलग्न दस्तावेजों की सूची	संलग्न-21.10	104	

## मॉर्गेज अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-1

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : मॉर्गेज (Mortgage) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबद्।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक- 

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि मैं संदर्भित संपत्ति वित्तीय संस्थान में मॉर्गेज रखकर ऋण प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। इस हेतु मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस हेतु कृपया जमा की जाने वाली राशि का मांग पत्र प्रदान करने का कष्ट करें तथा मेरे द्वारा राशि जमा कराये जाने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त संपत्ति के लिए मेरे द्वारा -

- मॉर्गेज अथवा विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
- पूर्व में मॉर्गेज अथवा विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो मूलतः संलग्न प्रस्तुत है।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

- आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
- पट्टा विलेख (IDA Lease Deed Photocopy)
- अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
- अंतिम जमा लीज बिल
- आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)
- घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरीकृत)
- यदि पूर्व में जारी हो तो मॉर्गेज अथवा विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल-प्रति, एवं
- संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारक प्रतिपूर्ति करें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के मॉर्गेज अनुमति हेतु घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-1.1

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में भूखण्ड क्रमांक ..... का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक ..... को निष्पादित की जाकर दिनांक ..... को पंजीकृत की गई है। उक्त भूखण्ड के मार्टगेज अनुमति हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तें/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडोड की शर्तें बंधनकारक है। तदानुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा भूखण्ड/भवन का उपयोग लीज शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर (Mortgage) अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्टाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होन में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓)करें)(आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## लीज अधिकार अंतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-2

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : लीज अधिकार अंतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबद्।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-.....

--	--	--	--	--	--	--	--

महोदय,

निवेदन है कि मैं उक्त संदर्भित संपत्ति के लीज अधिकार का अन्य व्यक्ति को अंतरण करना चाहता/चाहती हूँ। इस हेतु मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इस हेतु कृपया जमा की जाने वाली राशि का मांग पत्र प्रदान करने का कष्ट करें तथा मेरे द्वारा राशि जमा कराये जाने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त संपत्ति के लिए मेरे द्वारा -

1.  मॉर्गेज अथवा विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
2.  पूर्व में मॉर्गेज अथवा विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो मूलतः संलग्न प्रस्तुत है।

उक्त संपत्ति के लिए मेरे द्वारा कहीं भी मार्गेज नहीं की गई है, ना ही उक्त सम्पत्ति में किसी तरह के अधिकार अंतरित किये गए हैं एवं वर्तमान में मैं/हम उक्त सम्पत्ति के एकमात्र लीजधारी हैं।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. पट्टा विलेख (IDA Lease Deed Photocopy) 2
3. अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
4. अंतिम जमा लीज बिल
5. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)
6. घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो चस्पा कर नोटरीकृत) (Recent dated photo of the property Pasted on this & Noterised)
7. यदि पूर्व में जारी हो तो मॉर्गेज या लीज अंतरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल-प्रति, एवं

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक यहाँ प्रतिपूर्ति करें)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति लीज धारक यहाँ प्रतिपूर्ति करें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

- सत्यापन -

मैं/हम ..... प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपरोक्त जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास अनुसार सही है। मेरे/हमारे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो प्रदाय किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

हितग्राही/यों एवं आवेदक के हस्ताक्षर



लीज अधिकार अंतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये हेतु घोषणा पत्र  
(प्रपत्र-2.1)

(रु.100/- के स्टॉम्प पर नोटरीकृत तथा साथ में सम्पत्ति का दिनांक सहित फोटो भी लगावें)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती .....  
एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की  
योजना क्रमांक ..... में भूखण्ड क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक .....  
दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु हुआ है। उक्त भूखण्ड के  
लीजगृहिता के लीज अधिकार अंतरण अनुमति हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।  
मुझ पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तें/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल  
आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक है।  
तदानुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा भूखण्ड/भवन  
का उपयोग लीज शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा  
आवंटित भूखण्ड/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न  
प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के  
विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर विक्रय अनुमति स्वतः ही निरस्त  
मानी जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

हस्ताक्षर,

आवंटिती/अंतरिती

नाम

पता

मो.

ई-मेल

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाइ/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## भवन अनुज्ञाअनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-3

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : भवन अनुज्ञा अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबद्।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....भूखण्ड क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन मेरे नाम पर हुआ है तथा भूखण्ड का कब्जा दिनांक.....को प्राप्त कर लिया है। संपत्ति के प्रीमियम की शेष राशि मेरे द्वारा किशतों में जमा की जा रही है/ की जा चुकी है। भूखण्ड पर भवन निर्माण करने हेतु नगर पालिक निगम से भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

कृपया इस हेतु जमा की जाने वाली राशि का मांग-पत्र जारी करने का कष्ट करें तथा राशि जमा उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं साईट प्लान जारी करने का कष्ट करें।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. आवंटन पत्र
3. अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
4. कब्जा सूचना पत्र
5. अंतिम जमा किशत बिल
6. अंतिम जमा लीज बिल
7. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)
8. घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटरीकृत) एवं,
9. संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## भवन अनुज्ञा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-3.1

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मुझे प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में भूखण्ड क्रमांक ..... का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण के पूर्व नगर पालिक निगम से भवन अनुज्ञा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ पर निविदा प्रपत्र म उल्लेखित शर्तों/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तों, मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तों बंधनकारक है। तदनुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा भूखण्ड का उपयोग लीज शर्तों म उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूखण्ड के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन एवं इकरारनामा में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर भवन अनुज्ञा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाइ/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## कमजोर आय वर्ग हितग्राही द्वारा संपत्ति धारित होने/ न-होने बाबद आवेदन

**प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-4**

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विषय : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण हेतु इन्दौर विकास प्राधिकारी में कोई संपत्ति धारित होने अथवा न-होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन।

निवेदन है कि मैं भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधीश कार्यालय, इन्दौर से प्राप्त करना चाहता/ चाहती हूँ। इस हेतु इन्दौर विकास प्राधिकारी में कोई संपत्ति धारित होने अथवा न-होने संबंधी प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	नाम	पिता/ पति का नाम	संबंध	आयु
1			स्वयं	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
*	कृपया अधिक नाम होने की दशा में इस आवेदन के पिछले पृष्ठ में विवरण अंकित करें।			

**निम्नलिखित तीन विकल्पों में से कोई एक उपयुक्त विकल्प का (✓) चयन करें।**

1.  मेरे परिवार की उक्त तालिका में दर्शित किसी भी सदस्य के द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में कोई भी **संपत्ति धारित नहीं है। अथवा**
2.  मेरे परिवार की उक्त तालिका में दर्शित अ.क्र. .... श्री .....के द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... में .....उपयोग का भूखण्ड/भवन क्रमांक ..... संदर्भ क्रमांक ....., क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर **संपत्ति धारित है**, तथा शेष अन्य सदस्यों के द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में कोई भी संपत्ति धारित नहीं है। **अथवा**
3.  मेरे परिवार की उक्त तालिका में दर्शित अ.क्र. .... श्री .....के द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... में ..... उपयोग का भूखण्ड/भवन क्रमांक ..... संदर्भ क्रमांक ....., क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर **संपत्ति क्रय की गयी है परन्तु प्राधिकारी अभिलेख में नामान्तरण नहीं हुआ है।** शेष अन्य सदस्यों के द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में कोई भी संपत्ति धारित नहीं है।

संलग्न :- 1. आवेदक क आधार कार्डकी छायाप्रति

2. शासन द्वारा जारी समग्र परिचय पत्र की छायाप्रति

3. शपथ पत्र (रु.50/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टॉम्प पर नोटरीकृत)

हितग्राही/आवेदक के हस्ताक्षर	
नाम	
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	
मोबाईल नंबर	
समग्र पहचान नंबर	
आधार नंबर	

## इ.वि.प्राधिकरण में कोई संपत्ति धारित होने अथवा न-होने बाबद शपथ पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-4.1

(नोटरीकृत : रूपये 50/- के नॉन ज्युडि. स्टॉम्प)

मैं शपथगृहिता शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

1- मेरा नाम : .....  
पिता/पति का नाम : .....  
उम्र : .....वर्ष  
व्यवसाय : .....  
निवासी : .....

2- यह कि, मेरे परिवार की सकल वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से कम है।

3- **(निम्नलिखित तीन (क/ख/ग) विकल्पों में से कोई एकयोग्य विकल्प प्रतिपूरितकिया जावे।)**

3.क- यह कि, इन्दौर विकास प्राधिकरण की किसी भी योजना में मेरे/ मेरी पत्नी/ पुत्र/ पुत्री/ माता/ पिता श्री/ श्रीमती..... के नाम से कोई भी संपत्ति अर्थात् भूखण्ड/भवन धारित नहीं है।

### **अथवा**

3.ख- यह कि, इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक .....में.....उपयोग का भूखण्ड/भवन क्रमांक..... संदर्भ क्रमांक ..... आवंटित/अंतरित होकरमेरे/ मेरी पत्नी/ पुत्र/ पुत्री/ माता/ पिता श्री/ श्रीमती..... के नाम से दर्ज हैतथा परिवार के अन्य किसी भी सदस्य के नाम से कोई भी संपत्तिधारित नहीं है।

### **अथवा**

3.ग- यह कि, इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक .....में.....उपयोग का भूखण्ड/भवन क्रमांक..... संदर्भ क्रमांक ..... मेरे/ मेरी पत्नी/ पुत्र/ पुत्री/ माता/ पिता श्री/ श्रीमती..... के नाम से क्रय किया गया है परन्तु प्राधिकारी अभिलेख में नामान्तरण नहीं हुआ हैतथा परिवार के अन्य किसी भी सदस्य के नाम से कोई भी संपत्तिधारित नहीं है।

4- यह कि, यह शपथ पत्र मेरे द्वारा भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो वर्तमान आरक्षण की योजनाओं में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

5- उक्त शपथ पत्र में मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वह सही है, इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी मेरी होगी।

इन्दौर, दिनांक.....

शपथगृहिता

**:: सत्यापन लेख ::**

मैं शपथगृहिता शपथपूर्वक उपरोक्त कथन सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा चरण 1 से 5 तक का कुल कथन मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास से सत्य है, इनमें से कोई भी जानकारी असत्य नहीं है, न छिपाई गई है।

इन्दौर, दिनांक.....

शपथगृहिता

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)



# किश्तों की चूक से निरस्त संपत्ति का आवंटन पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-5

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विषय : किश्तों की चूक से निरस्त संपत्ति का आवंटन पुनर्जीवित करने बाबद्।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक- 

--	--	--	--	--	--	--	--

महोदय,

निवेदन है कि विक्रय उपरान्त/ व्यवस्थापन के अंतर्गत किश्तों पर आवंटित संदर्भित संपत्ति, मेरे द्वारा मासिक/त्रैमासिक किश्तें यथासमय जमा नहीं करने से आवंटन स्वमेव निरस्त हो गया है। मैं अब चूक के कारण शेष किश्तों की राशि जमा करना चाहता/ चाहती हूँ। अतः निवेदन है कि कृपया संपत्ति का आवंटन पुनर्जीवित करने का कष्ट करें। साथ ही -

**(निम्नलिखित दो विकल्पों में से कोई एक वांछित विकल्प का (√) चयन करें।)**

- कृपया मुझे भुगतान में चूक अवधि की समस्त किश्तों की देय राशि मय विलंब ब्याज एवं अधिभार के एकमुश्त जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- कृपया मुझे भुगतान में चूक अवधि की समस्त किश्तों की देय राशि को एक वर्ष में देय 04 किश्तों में नियमानुसार विलंब ब्याज एवं अधिभार सहित जमा करने की अनुमति प्रदान करें तथा तदनुसार प्रथम किश्त का मांग पत्र जारी करने का कष्ट करें।

मैं भविष्य में पूर्व निर्धारित किश्तों का भुगतान भी यथासमय करता रहूँगा/ करती रहूँगी।

[निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।]

- आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
- अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
- आवंटन पत्र
- अंतिम जमा किश्त बिल
- अंतिम जमा लीज बिल
- आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)
- घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरीकृत) एवं,
- संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारक प्रतिपूर्ति करें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के पुनर्जीवित हेतु घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-5.1

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती .....  
एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मुझ प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में  
भूखण्ड/भवन क्रमांक ..... का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा  
..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त भूखण्ड की किश्तें समय पर नहीं भरने के कारण मेरा  
भूखण्ड/भवन का आवंटन निरस्त हो गया है।

उक्त भूखण्ड/भवन को पुनर्जीवित करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ पर  
आवेदन पत्र/निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तें/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन,  
मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक हैं। तदनुसार किसी भी  
शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा भूखण्ड/भवन का उपयोग लीज शर्तों में  
उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन के मौके के  
वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

मैं उक्त भवन पर स्वयं निवासरत हूँ(व्यवस्थापन के प्रकरण में लागू)।

हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## पुनर्जीवित आवंटन के लिये पुनरीक्षित मांगपत्र हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-6

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

विषय : पुनर्जीवित आवंटन के लिये पुनरीक्षित मांगपत्र बाबद ।

संदर्भ : 1. आवेदन आवक क्रमांक ..... दिनांक .....  
पुनर्जीवित सूचना पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....  
2. योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक- 

--	--	--	--	--	--	--	--

महोदय,

निवेदन है कि उक्त संदर्भित-2 संपत्ति के लिये पूर्व में जारी संदर्भित-1 पत्र द्वारा जारी मांगपत्र की राशि मेरे द्वारा जमा नहीं की गई है। मैं उक्त राशि अब जमा करना चाहता हूँ। इस हेतु मुझे पुनरीक्षित मांगपत्र की आवश्यकता है। अतः -

**(निम्नलिखित दो विकल्पों में से कोई एक वांछित विकल्प का (√) चयन करें।)**

1.  कृपया पुनर्जीवित आवंटन के लिये नियमानुसार विलंब ब्याज एवं अधिभार सहित देय राशि का पुनरीक्षित मांगपत्र जारी करने का कष्ट करें।
2.  कृपया पुनर्जीवित आवंटन के लिये देय राशि को एक वर्ष में देय 04 किश्तों में नियमानुसार विलंब ब्याज एवं अधिभार सहित जमा करने की अनुमति प्रदान करें तथा तदनुसार प्रथम किश्त का मांग पत्र जारी करने का कष्ट करें।

मैं भविष्य में पूर्व निर्धारित किश्तों का भुगतान भी यथासमय करता रहूँगा/ करती रहूँगी।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. पुनर्जीवित सूचना पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....
3. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारक प्रतिपूर्ति करें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाइ/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## 20 गुना\* लीज-रेंट जमा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-7

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : 20 गुना लीज-रेंट जमा प्रमाण पत्र प्रदान करने बाबद्।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-  

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि मैं संदर्भित संपत्ति के लिये प्रतिवर्ष देय लीज-रेंट की 20 गुना राशि –

(निम्नलिखित दो विकल्पों में से कोई एक योग्य विकल्प का (√) चयन करें।)

- एकमुश्त जमा करन हेतु मांग पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। मेरे द्वारा राशि जमा करने के उपरान्त तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- मेरे द्वारा पूर्व में 10/ 15 गुना लीज-रेंटकी राशि जमा की गई थी जिसका प्रमाण संलग्न है। कृपया तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

- आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
- पट्टा विलेख (IDA Lease Deed Photocopy)
- अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
- अंतिम जमा लीज बिल
- आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

\*उक्त सेवा के लिये ऑन-लाईन आवेदन सुविधा "idaindore.org" पर उपलब्ध है।

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

# किश्त की राशि पे-आर्डर अथवा डी.डी. से जमा करने हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-8.1

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : किश्त की राशि पे-आर्डर अथवा डी.डी. से जमा करने बाबद् ।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक- 

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति की माह.....की मासिक/त्रैमासिक किश्त हेतु निम्नानुसार संलग्न पे-आर्डर अथवा डी.डी. के माध्यम से राशि जमा कर रहा हूँ/ रही हूँ :

पे-आर्डर अथवा डी.डी. क्रमांक.....दिनांक.....  
राशि रूपये.....(अक्षरी रूपये.....)  
बैंक का नाम-.....शाखा-.....

कृपया उपरोक्तानुसार राशि जमा कर रसीद देने का कष्ट करें।

[निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।]

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. पे-आर्डर/डी.डी./चेक क्रमांक ..... दिनांक .....
3. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारक प्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस



## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## प्रीमियम की नियमित किश्तों के अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-8.2

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : अधिमूल्य (प्रीमियम) की नियमित किश्तों के अतिरिक्त राशि जमा करने बाबद्।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति मासिक/त्रैमासिक किश्तों पर आवंटित की गई है जिसके अधिमूल्य (प्रीमियम) की किश्तें मेरे द्वारा नियमित जमा की जा रही है। मैं अधिमूल्य (प्रीमियम) की नियमित किश्तों के अतिरिक्त रु. .... राशि जमा करना चाहता/ चाहती हू।

अतः कृपया जमा की जाने वाली राशि का मांगपत्र (डिमांड नोट) जारी करने का कष्ट करें एवं राशि जमा उपरान्त किश्तों का पुनरिश्चित पत्रक (Revised Payment Schedule) जारी करने का कष्ट करें।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. आवंटन पत्र
3. अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
4. अंतिम किश्त जमा बिल
5. अंतिम जमा लीज बिल
6. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारक प्रतिपूर्ति करें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## प्रीमियम की शेष किश्तों की राशि एकमुश्त जमा करने हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-8.3

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : अधिमूल्य (प्रीमियम) की शेष किश्तों की राशि एकमुश्त जमा करने बाबद्।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति मासिक/त्रैमासिक किश्तों पर आवंटित की गई है जिसके अधिमूल्य (प्रीमियम) की किश्तें मेरे द्वारा नियमित जमा की जा रही हैं। मैं अधिमूल्य (प्रीमियम) की शेष किश्तों की राशि एकमुश्त जमा करना चाहता/चाहती हूँ।

अतः कृपया जमा की जाने वाली राशि का मांगपत्र (डिमांड नोट) जारी करने का कष्ट करें।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. आवंटन पत्र
3. अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
4. अंतिम किश्त जमा बिल
5. अंतिम जमा लीज बिल
6. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारक प्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)



## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## लीज नवीनीकरण\* करवाने हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-10

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

हितग्राही/यों का  
स्व-हस्ताक्षरित  
पासपोर्ट आकार का  
छायाचित्र

विषय : लीज नवीनीकरण करवाने बाबद् ।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित संपत्ति की लीज अवधि दिनांक .....को समाप्त हो रही/गई है, मैं इसका नवीनीकरण करवाना चाहता/ चाहतीहूँ।

अतः इस हेतु निर्धारित शुल्क का मांगपत्र जारी करने तथा मेरे द्वारा राशि जमा किये जाने पर संपत्ति का नवीनीकरण करने का कष्ट करें।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. पट्टा विलेख (IDA Lease Deed Photocopy)
3. अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
4. अंतिम जमा लीज बिल
5. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)
6. घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटरीकृत)एवं,
7. संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)
8. विद्युत संयोजन का प्रमाण पत्र
9. स्वीकृत नक्षे की फोटोकॉपी

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

\*उक्त सेवा के लिये ऑन-लाईन आवेदन सुविधा“[idaindore.org](http://idaindore.org)”पर उपलब्ध है।



## प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के लीज नवीनीकरण हेतु घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-10.1

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में भूखण्ड क्रमांक ..... का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक ..... को निष्पादित की जाकर दिनांक ..... को पंजीकृत की गई है। सम्पादित लीजडीड अनुसार लीजडीड, ..... तक की समयावधि के लिये है, जिसमें लीजडीड की शर्त अनुसार आगामी 30 वर्ष की अवधि की वृद्धि प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अतः उक्त भूखण्ड के लीज नवीनीकरण हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ क्रेता पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तें/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक है। तदनुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा भूखण्ड/भवन का उपयोग लीज शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। यदि लीज नवीनीकरण के संबंध में कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित की जाती है तो मुझे स्वीकार होगी। प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर लीज स्वतः ही निरस्त मानी जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

हितग्राहो (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

# लीजहोल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-11

हितग्राही/यों का  
स्व-हस्ताक्षरित  
पासपोर्ट आकार का  
छायाचित्र

प्रति,  
संपदा अधिकारी,  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : योजना क्रमांक.....के भूखण्ड क्रमांक.....को फ्री-होल्ड करने के संबंध में।  
संदर्भ क्रमांक - 

--	--	--	--	--	--	--	--

मैं/हमउक्त संपत्ति के लीज होल्ड अधिकार को फ्री-होल्ड में संपरिवर्तित कराना चाहता/  
चाहती हूँ, प्राधिकारी अभिलेख में संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1-हितग्राही (पट्टाधारी) का नाम : 1.....  
2.....
- 2- पिता/पति का नाम : 1.....  
2.....
- 3- वर्तमान डाक का पता : .....  
पिनकोड.....
- 4- दूरभाष क्रमांक : .....
- 5- मोबाईल नंबर : .....
- 6- ई-मेल आई.डी. : .....
- 7- आवंटित संपत्ति की जानकारी  
ए)योजना क्रमांक : .....  
बी)संपत्ति क्रमांक : .....
- सी)पट्टा विलेख में उल्लेखित पट्टे  
का प्रयोजन (आवासीय/व्यवसायिक इत्यादि) : .....
- डी) संपत्ति का क्षेत्रफल व.मी. में : .....
- ई)कब्जा दिनांक : .....

एफ)पट्ट(लीज) की कालावधि : दि. ....से दि. ....तक

जी)वर्तमान वार्षिक भू-भाटक(लीजरेंट) : .....

एच)क्या वर्तमान वर्ष का भू-भाटक : हां / नहीं  
जमा किया गया है ?  
(यदि हां तो रसीद की प्रति संलग्न करें)

8- ए) आवंटित संपत्ति का वर्तमान उपयोग : .....

बी) संपत्ति के संबंध में घोषणा पत्र : हां / नहीं  
(संलग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार)

9- क्या आवंटित संपत्ति का किसी न्यायालय : हां / नहीं  
या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित  
है ? (यदि हां तो विवरण दें)

10-संपत्ति के संबंध में शपथ-पत्र : हां / नहीं  
(संलग्न निर्धारित प्रारूप अनुसार)

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं |}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. पट्टा विलेख (IDA Lease Deed Photocopy)
3. अंतरण पत्र (यदि संपत्ति का अंतरण हुआ हो)
4. अंतिम जमा लीज बिल
5. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)
6. घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टॉम्प पर नोटरीकृत)
7. शपथ पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टॉम्प पर नोटरीकृत)
8. संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)
9. स्वीकृत मानचित्र की प्रति
10. न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के दस्तावेज (यदि कोई हो)
11. अन्य कोई जानकारी (यदि कोई हो)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के फ्री-होल्ड हेतु घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-11.1

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं/हम.....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें प्राधिकारी की योजना क्रमांक.....में.....उपयोग (प्रयोजन) की संपत्ति क्रमांक.....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा किया गया है। उक्त संपत्ति की लीजडीड दिनांक.....को पंजीकृत की गई है।

मुझ/हम आवंटिती/अंतरिती पर आवंटन एवं लीजडीड में उल्लेखित शर्तें बंधनकारक हैं। तदनुसार मेरे/हमारे द्वारा आज दिनांक तक किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। लीजडीड के उपयोग अनुसार ही मेरे/हमारे द्वारा वर्तमान में आवंटित संपत्ति का उपयोग..... हेतु ही किया जा रहा है। संपत्ति के नवीनतम दिनांकित फोटोग्राफ प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

यह घोषणा पत्र पट्टे पर आवंटित संपत्ति को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। संपत्ति फ्री-होल्ड होने के उपरांत भी भविष्य में मेरे द्वारा संपत्ति के प्रयोजन में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। मेरे/हमारे द्वारा आवंटन, इकरारनामा एवं फ्री-होल्ड में उल्लेखित प्रयोजन एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में वैधानिक कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के फ्री-होल्ड हेतु शपथ पत्र

**प्रपत्र क्रमांक : शपथ-11.2**

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

- 1- मैं/हम शपथकर्ता शपथ पर निम्नानुसार कथन करता हूँ/करती हूँकि :  
मेरा/हमारा नाम : .....  
.....  
पिता/पति का नाम : .....  
.....  
आयु : .....  
व्यवसाय : .....  
निवासी : .....  
.....  
पिनकोड.....
- 2- यह कि मुझे इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित संपत्ति पट्टे (लीज) पर आवंटित की गई है :-  
(अ) योजना क्रमांक : .....  
(ब) संपत्ति क्रमांक : .....  
(स) संपत्ति का क्षेत्रफल : .....वर्गमीटर  
(द) उपयोग (प्रयोजन) : .....
- 3- यह कि उक्त संपत्ति के पंजीकृत पट्टा विलेख की समस्त शर्तों का मेरे/हमारे द्वारा पालन किया गया है।
- 4- यह कि उपरोक्त आवंटित संपत्ति के पंजीकृत पट्टा विलेख में उल्लेखित प्रयोजन में मेरे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एवं न ही भविष्य में किया जावेगा।
- 5- यह कि उपरोक्त संपत्ति बाबद किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
- 6- यह कि उपरोक्त संपत्ति के पंजीकृत पट्टे की शर्तें एवं प्रचलित नियमों में संपरिवर्तन (फ्री-होल्ड) हेतु प्रतिषिद्ध नहीं करती है।
- 7- यह कि उपरोक्त संपत्ति के संपरिवर्तन (फ्री-होल्ड) हेतु मेरे/हमारे द्वारा प्राधिकारी में आवेदन दिया गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथकर्ता

:: सत्यापन ::

मैं/हम.....पिता/पति...  
.....सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त वर्णित जानकारी व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है न ही कोई भी बात छिपाई गई है।

स्थान :

दिनांक :

शपथकर्ता

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाइ/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## प्रारंभिक राशि जमा करने के लिये समयवृद्धि हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-12

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : प्रीमियम की प्रथम/द्वितीय 25 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु समयवृद्धि प्रदान करने बाबद्।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

आरक्षण पत्र क्रमांक-.....दिनांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

---

निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा उक्त संपत्ति का आरक्षण मेरे नाम पर किया जाकर प्रीमियम की प्रथम/द्वितीय 25 प्रतिशत राशि दिनांक.....तक जमा करने हेतु सूचित किया था।

मैं.....कारण से उक्त दिनांक तक प्रीमियम की प्रथम/द्वितीय 25 प्रतिशत राशि जमा करने में असमर्थ हूँ।

अतः राशि जमा करने हेतु मुझे 30/60/90 दिवस की समयवृद्धि प्रदान करने का कष्ट करें। मैं देय राशि मय विलंब ब्याज सहित स्वीकृत समयावधि में जमा करा दूंगा/ दूंगी।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. आरक्षण पत्र
3. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)
4. प्रथम25 प्रतिशत राशि जमा हो तो रसीद की छायाप्रति

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस



## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्टाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## इकरारनामा तथा प्रथम वर्ष का लीजरेंट जमा हेतु आवेदन

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-13

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : इकरारनामा तथा प्रथम वर्ष का लीजरेंट जमा करने बाबद्।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

आवंटन पत्रक्रमांक-.....दिनांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

----

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति के अधिमूल्य की प्रारम्भिक 25/ 50 प्रतिशत राशि मेरे द्वारा जमा की जा चुकी है। नियमानुसार प्रथम वर्ष के लीजरेंट की राशि की जमा रसीद तथा निर्धारित प्रारूप में रुपये 1000/- के नॉन-ज्यूडिशियल/ई-स्टाम्प पर दो गवाहों के समक्ष निष्पादित इकरारनामा संलग्न प्रस्तुत है।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. अधिमूल्य की प्रारम्भिक 25/ 50 प्रतिशत राशि की जमा रसीद
3. प्रथम वर्ष के लीजरेंट की राशि की जमा रसीद
4. इकरारनामा
5. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाइ/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## लीज विलेख पंजीयन(लीज डीड रजिस्ट्री) हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-14

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :लीजडीड(रजिस्ट्री)करने बाबद् ।

संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

---

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति क प्रीमियम की पूर्ण राशि मेरे द्वारा जमा करा दी गई है। कृपया संपत्ति की लीजडीड का प्रारूप प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि पंजीयन की कार्यवाही की जा सके।

[निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।]

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. कब्जा पत्र की छायाप्रति
3. अंतिम जमा लीज बिल की रसीद
4. अंतिम जमा किश्त बिल की रसीद
5. अंतिम जमा समझौता शुल्क की रसीद
6. घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटरीकृत)
7. संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)
8. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## लीज विलेख पंजीयन(लीज डीड रजिस्ट्री) हेतु घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-14.1

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में भूखण्ड क्रमांक ..... का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त भूखण्ड के लीज निष्पादन एवं पंजीयन हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ क्रेता पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तें/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक हैं। तदनुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा भूखण्ड/भवन का उपयोग लीज शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

# लीज विलेख का स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित प्रारूपप्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-14.2

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :लीज विलेख का स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित प्रारूप प्रस्तुतकरने बाबद्।  
संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
कार्यालयीन पत्र क्रमांक-..... दिनांक .....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित प्रारूप अनुसारलीज विलेख,पंजीकृत सर्विस प्रोवाईडर से टंकित करवाकर,स्वयं जाँच एवं हस्ताक्षर कर एवं हितग्राही का वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर आपके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

कृपया उक्त विलेख हस्ताक्षर कर लौटाने का कष्ट करें ताकि उप पंजीयक कार्यालय, इन्दौर में लीजडीडका पंजीयन (ई-रजिस्ट्री) करवा सकूँ। पंजीयन पश्चात् 30 दिन मे पंजीकृत लीजडीड विलेख की छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा/ दूंगी।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. लीजडीड की वॉटरमार्क पेपर पर अंकित 02प्रतियां (हितग्राही का स्वहस्ताक्षरितफोटो)
3. सर्विस प्रोवाईडर के प्रमाण पत्र व लायसेंस
4. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

# पूर्ण-स्वामित्व विलेख पंजीयन(फ्री-होल्ड डीड रजिस्ट्री) हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-15

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :पूर्ण-स्वामित्व विलेख पंजीयन (फ्री-होल्ड डीड रजिस्ट्री) करने बाबद् ।  
संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति क प्रीमियम की पूर्ण राशि मेरे द्वारा जमा करा दी गई है। कृपया संपत्ति कापूर्ण-स्वामित्व विलेख का प्रारूप प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि पंजीयन की कार्यवाही की जा सके।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. कब्जा पत्र की छायाप्रति
3. अंतिम जमा लीज बिल की रसीद
4. अंतिम जमा किश्त बिल की रसीद
5. अंतिम जमा समझौता शुल्क की रसीद
6. घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटरीकृत)
7. संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)
8. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस



# पूर्ण-स्वामित्व विलेख पंजीयन(फ्री-होल्ड डीड रजिस्ट्री) हेतु घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-15.1

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में भूखण्ड क्रमांक ..... का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त भूखण्ड के पूर्ण-स्वामित्व विलेख निष्पादन एवं पंजीयन हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ क्रेता पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं पूर्ण-स्वामित्व विलेख की शर्तें बंधनकारक है। तदनुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा भूखण्ड/भवन का उपयोग पूर्ण-स्वामित्व विलेख शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व पूर्ण-स्वामित्व विलेख में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

# पूर्ण-स्वामित्व विलेख का स्वहस्ताक्षरित स्वच्छ प्रारूपप्रस्तुत करने हेतु

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-15.2

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :पूर्ण-स्वामित्व विलेख का स्वहस्ताक्षरित स्वच्छ प्रारूप प्रस्तुत करने बाबद्।  
संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

---

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति के संबंध में आपके द्वारा प्रेषित प्रारूप अनुसारपूर्ण-स्वामित्व विलेख,पंजीकृत सर्विस प्रोवाइडर से टंकित करवाकर,स्वयं जाँच एवं हस्ताक्षर कर एवं हितग्राही का वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर आपके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

कृपया उक्त विलेख हस्ताक्षर कर लौटाने का कष्ट करें ताकि उप पंजीयक कार्यालय, इन्दौर में पूर्ण-स्वामित्व विलेख का पंजीयन (ई-रजिस्ट्री) करवा सकूँ। पंजीयन पश्चात् 30 दिन में पंजीकृत पूर्ण-स्वामित्व विलेख की छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा/ दूंगी।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों को स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. पूर्ण-स्वामित्व विलेख की वॉटरमार्क पेपर पर अंकित 02 प्रतियां (हितग्राही का स्वहस्ताक्षरितफोटो)
3. सर्विस प्रोवाइडर के प्रमाण पत्र व लायसेंस
4. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## संपत्ति की पुनर्नप्ती करवाने हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-16

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :संपत्ति की पुनर्नप्ती करवाने बाबद्।

संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि मैं संदर्भित संपत्ति की पुनर्नप्ती करवाना चाहता/ चाहती हूँ। अतः इस हेतु निर्धारित शुल्क का चालान जारी करने तथा मेरे द्वारा राशि जमा कराने उपरांत पुनर्नप्ती करवाने का कष्ट करें।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies)संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. कब्जा पत्र की छायाप्रति
3. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## न्यूनतम निर्माण/पूर्ण निर्माण के संबंध में सूचना हेतु आवेदन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-17

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : न्यूनतम निर्माण/पूर्ण निर्माण के संबंध में सूचना बाबद्।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....भूखण्ड क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित भूखण्ड पर मेरे द्वारा नगर पालिक निगम, इन्दौर के मेमो क्रमांक.....  
दिनांक.....द्वारा नक्शा स्वीकृत करवाकर स्वीकृत नक्शा के अनुसार न्यूनतम निर्माण कार्य/पूर्ण  
निर्माण कार्य माह.....में पूर्ण कर लिया गया है जिसका फोटोग्राफ, स्वीकृत नक्शा तथा मेमो की  
छायाप्रतियाँ संलग्न है।

{निम्नानुसार सभी दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ (Self attested photocopies) संलग्न हैं।}

1. आवेदक हितग्राही से भिन्न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र-1
2. कब्जा पत्र की छायाप्रति
3. स्वीकृत नक्शा तथा मेमो
4. संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो (Recent dated photo of the property)
5. आधार कार्ड (हितग्राही एवं आवेदक प्रतिनिधि के पृथक-पृथक)

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारक प्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## भूखण्ड नामान्तरण हेतु क्रेता द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-18

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

\*क्रेता का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।

\* क्रेता के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

विषय :संपत्ति विक्रय उपरान्त क्रेता के नाम पर अंतरण करने बाबद्।  
संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-  

--	--	--	--	--	--	--	--

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्राधिकारी द्वारा उक्त संपत्ति..... के नाम से आवंटित है। उक्त संदर्भित संपत्ति मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत विक्रय लेख दिनांक.....द्वारा क्रय किया गया है। अतः उक्त संपत्ति मेरे/हमारे नाम दर्ज करने का कष्ट करें।

इस संबंध में जो भी नियम एवं अंतरण शुल्क होगा, मुझे मान्य होगा। संपत्ति क्रय संबंधी अंतरण के संबंध में आवश्यक प्रपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रपत्र क्रमांक	निर्धारित प्रपत्रों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
प्रतिनिधि पत्र-1	आवेदक आवंटिती / अंतरिती न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र	
अंतरण-18.1	क्रेता का घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-18.2*	(क) क्रेता का शपथ पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-18.3	क्रेता का इकरारनामा (रु.1000/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प)	
अंतरण-18.4	क्रेता का अभिवचन पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-18.5	(क) विक्रेता- आवंटिती / अंतरिती / (ख) प्रथम या (ग) द्वितीय आम मुख्खार द्वारा अनापत्ति पत्र	
अंतरण-18.6	प्रथम या द्वितीय आम मुख्खार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण	
अंतरण-18.7	प्रथम या द्वितीय आम मुख्खार का शपथ पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
<b>नोट</b>	<b>योजना क्रमांक 78 के प्रकरणों में निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज भी संलग्न करें :-</b>	
अंतरण-18.2*	(ख) क्रेता का शपथ पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-18.8	क्रेता द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख (रु.500/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-18.9	क्रेता का मासिक आय / निम्न आय वर्ग का प्रमाण पत्र	
संलग्न क्रमांक	संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
संलग्न-1	आवेदक तथा आवंटिती / अंतरिती के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित पृथक-पृथक छायाप्रतियां	
संलग्न-2	प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख की छायाप्रति	
संलग्न-3	पंजीकृत विलेख की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि.	
संलग्न-4	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-5	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-6	आम मुख्खारनामे की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि	
संलग्न-7	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस



## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के नामांतरण हेतु क्रेता का घोषणा पत्र

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

**प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-18.1**

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा विक्रय विलेख दिनांक ..... द्वारा क्रय किया गया है। उक्त संपत्ति के नामांतरण हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ क्रेता पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक है। तदानुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा संपत्ति/भवन का उपयोग लीज शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर नामांतरण अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

क्रेता/ हितग्राही द्वारा प्रतिपूर्ति किया जावे
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

**प्रपत्र क्रमांक : शपथ-18.2(क)\***

(\*प्रपत्र क्रमांक : शपथ-18.2(क) अथवा शपथ-18.2(ख) में से कोई एक प्रस्तुत करें।)

- 1- मेरा नाम : .....
- पिता का नाम : .....
- धंधा : .....
- उम्र : .....
- निवासी : .....
- मासिक आय : .....
  
- 2- यह कि मेरे द्वारा योजना क्रमांक.....का संपत्ति क्रमांक.....मेरे द्वारा श्री/श्रीमती .....(समस्त व्यक्तियों के नाम आम मुख्यार सहित) से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा भवन सहित क्रय किया है।
- 3- यह कि चरण-2 में उल्लेखित संपत्ति क्रय करने के पश्चात् पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर संपत्ति का अंतरण मेरे नाम पर किये जाने हेतु मैंने प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।
- 4- यह कि मेरे द्वारा अंतरण बाबद प्रस्तुत आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक होकर संदेह से परे हैं।
- 5- यह कि मेरे द्वारा क्रय की गई संपत्ति समस्त विवादों से मुक्त है। मौके पर मेरा ही आधिपत्य है। मेरे द्वारा संबंधित विक्रेता को प्रतिफल संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है। मेरे द्वारा उक्त संपत्ति पर विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक के पश्चात् से संपत्ति के समस्त स्वत्वाधिकार प्राप्त किये गये हैं।
- 6- यह कि मेरे द्वारा क्रय उपरोक्त संपत्ति का अंतरण प्राधिकरण द्वारा मेरे नाम पर किये जाने के उपरांत यदि किसी व्यक्ति/संस्था या किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/विवाद या न्यायालयीन कार्यवाही की कोई नुकसानी/खर्चा लगने नहीं देवेंगे।

शपथगृहिता

### सत्यापन लेख

मैं .....सत्यापित करता/ करतीहूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत, जानकारी एवं विश्वास से सत्य है और उसमें कोई भी असत्य नहीं है और न छिपाया गया है।

शपथगृहिता

## क्रेता द्वारा दिया जाने वाले इकरार नामे का प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : इकरारनामा-18.3

(रूपये 1000/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

यह इकरारनामा लिख देने वाला मैं .....  
पिता/पति श्री.....निवासी-.....  
.....इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के पक्ष में निम्नलिखित इकरारनामा  
लिख देता/देती हूँ कि :-

- 1- प्राधिकरण की योजना क्रमांक.....संपत्ति क्रमांक.....जिसका अंदाजन क्षेत्रफल.....वर्गमीटर है, श्री/श्रीमती.....  
पिता/पति श्री.....को आवंटित है।
- 2- श्री/श्रीमती.....ने उक्त संपत्ति मेरे नाम पर नामांतरण करना चाहा है। प्राधिकरण ने भी उक्त संपत्ति मेरे नाम पर करना स्वीकार किया है।
- 3- उक्त संपत्ति जिन शर्तों पर श्री/श्रीमती.....को आवंटित की गई है उसकी पूर्ण माहिती मुझे है एवं वे समस्त शर्तें मुझ पर बंधनकारक है एवं मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी। ऐसा न करने की दशा में प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- 4- उक्त संपत्ति के संबंध में प्राधिकारी अथवा शासन के निर्देशानुसार भविष्य में कोई अन्य शर्तें प्रतिपादित की गईं तो मैं उनका पालन करूंगा और वे मुझ पर बंधनकारक होगी।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....

## ऋेता द्वारा दिया जाने वाले अभिवचन पत्र का प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : अभिवचन-18.4

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं..... पिता/पति श्री.....  
.....निवासी-.....यह अभिवचन-पत्र लिखकर  
देता/देती हूँ कि :

1- प्राधिकरण की योजना क्रमांक.....का भूखण्ड क्रमांक..... मेरे द्वारा पंजीकृत  
त विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा श्री.....  
पिता/पति श्री.....निवासी-.....  
.....से क्रय किया गया है।

2- उक्त भूखण्ड के नामांतरण के संबंध में, मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। शासन के  
नियमानुसार समझौता शुल्क की राशि जमा की गई है किंतु फिर भी समझौता शुल्क की राशि  
के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश व नियमों में भविष्य में कोई संशोधन किया जाता है, तो  
इस अनुसार यदि पूर्व दिनांक से कोई राशि देय होगी तो यह अभिवचन पत्र देता/देती हूँ कि  
उस अनुसार यह अतिरिक्त बढ़ी हुई राशि मैं देने को तत्पर रहूँगा। यदि उक्त राशि प्राधिकरण  
द्वारा जारी मांग पत्र से 30 दिन में मेरे द्वारा जमा नहीं की जाती है तो प्राधिकरण को यह  
अधिकार होगा कि वह उक्त भूखण्ड की लीज निरस्त कर देवे तथा बकाया राशि भू-राजस्व के  
बकाया के बतौर वसूल करने के लिये कार्यवाही करें।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	

## विक्रेता द्वारा दिया जाने वाला अनापत्ति पत्र

(अनापत्ति-18.5(क), अनापत्ति-18.5(ख) अथवा अनापत्ति-18.5(ग) में से कोई एक संलग्न करें।)

**प्रपत्र क्रमांक : अनापत्ति-18.5(क)**

- \* विक्रेता का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।
- \* विक्रेता के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :नामांतरण हेतु अनापत्ति।

संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति मेरे द्वारा पंजीकृत विक्रय लेख दिनांक.....द्वारा श्री/श्रीमती..  
.....के नाम पर कर दी गई है।

उक्त संपत्ति प्राधिकारी अभिलेख में मेरे नाम के स्थान पर श्री/श्रीमती.....  
.....का नाम दर्ज करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

आवंटिती/अंतरिती के हस्ताक्षर .....

आवंटिती/अंतरिती का नाम .....

वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता .....

मोबाईल नंबर .....

आधार नंबर .....

ई-मेल आई.डी. ....

## प्रथम आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय करने पर दिया जाने वाला अनापत्ति पत्र

(अनापत्ति-18.5(क), अनापत्ति-18.5(ख) अथवा अनापत्ति-18.5(ग) में से कोई एक संलग्न करें।)

**प्रपत्र क्रमांक : अनापत्ति-18.5(ख)**

\* आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।

\* आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : नामांतरण हेतु आम मुख्त्यार की अनापत्ति।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

---

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....  
.....द्वारा भूखण्ड से संबंधित सभी कार्यवाही करने हेतु मुझे आम मुख्त्यार नियुक्त कर आम मुख्त्यार पत्र दिनांक.....को पंजीकृत करवाया था। मुझे संपत्ति को विक्रय करने के अधिकार प्राप्त थे। मैंने उक्त संपत्ति क्रेता श्री/श्रीमती.....को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा विक्रय कर दी है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।

प्राधिकारी अभिलेख में उक्त संपत्ति का नामांतरण क्रेता श्री/श्रीमती.....  
.....के नाम पर करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप अनुसार शपथ पत्र (नोटरी तस्दीक) एवं स्वयं का पासपोर्ट फोटो संलग्न प्रस्तुत कर रहा/ रहीहूँ।

संलग्न :1- विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति

2- शपथ पत्र व फोटो.

अधिकृत आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर .....

अधिकृत आम मुख्त्यार का नाम .....

वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता .....

.....

मोबाईल नंबर .....

आधार नंबर .....

ई-मेल आई.डी. ....

## द्वितीय आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय करने पर दिया जाने वाला अनापत्ति पत्र

(अनापत्ति-18.5(क), अनापत्ति-18.5(ख) अथवा अनापत्ति-18.5(ग) में से कोई एक संलग्न करें।)

**प्रपत्र क्रमांक : अनापत्ति-18.5(ग)**

\* आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।

\* आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : नामांतरण हेतु आम मुख्त्यार (द्वितीय आम मुख्त्यार) की अनापत्ति।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....  
.....द्वारा पंजीकृत आम मुख्त्यारनामा दिनांक.....द्वारा श्री/श्रीमती.....  
.....को उक्त संपत्ति बाबद आम मुख्त्यार  
नियुक्त किया था। इन्होंने पंजीकृत मुख्त्यारनामा दिनांक.....से मुझे उक्त संपत्ति बाबद आम  
मुख्त्यार नियुक्त किया है। आम मुख्त्यारनामे में संपत्ति को विक्रय करने के अधिकार प्राप्त है। मैंने उक्त  
संपत्ति पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा क्रेता श्री/श्रीमती.....  
.....को विक्रय कर दी है।

प्राधिकारी अभिलेख में उक्त संपत्ति का नामांतरण क्रेता श्री/श्रीमती.....  
.....के नाम पर करने का कष्ट कर। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।  
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप अनुसार शपथ पत्र (नोटरी तस्दीक) एवं स्वयं का पासपोर्ट  
फोटो संलग्न प्रस्तुत कर रहा/ रहीहूँ।

संलग्न : 1- शपथ पत्र व फोटो

2- प्रथम आ.मु.की मूल प्रति.

अधिकृत आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर .....

अधिकृत आम मुख्त्यार का नाम .....

वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता .....

मोबाईल नंबर .....

आधार नंबर .....

ई-मेल आई.डी. ....



## मूल लीजगृहिता द्वारा आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण

प्रपत्र क्रमांक : हस्ताक्षर प्रमाण-18.6

- \* प्रथम आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।
- \* प्रथम आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण बाबद्।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....  
संदर्भ क्रमांक-.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

संदर्भित संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....द्वारा  
पंजीकृत आम मुख्त्यारनामा दिनांक.....द्वारा श्री/श्रीमती.....  
.....को आम मुख्त्यार नियुक्त किया है। आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर मेरे द्वारा प्रमाणीकृत है।

हस्ताक्षर प्रथम आम मुख्त्यार  
.....  
प्रमाणीकरण

.....  
मूल लीजगृहिता/राजपत्रित अधिकारी  
नाम-.....

पता-.....

—अथवा—

**(प्रथम आम मुख्त्यार द्वारा द्वितीय आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण)**

- \* द्वितीय आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।
- \* द्वितीय आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

उक्त संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....द्वारा पंजीकृत  
आम मुख्त्यारनामा दिनांक.....के द्वारा मुझे आम मुख्त्यार नियुक्त किया है। मेरे द्वारा  
श्री/श्रीमती.....को पंजीकृत मुख्त्यारनामा  
दिनांक.....से आम मुख्त्यार नियुक्त किया है एवं इनके हस्ताक्षर प्रमाणीकृत है।

हस्ताक्षर द्वितीय आम मुख्त्यार  
.....  
प्रमाणीकरण

.....  
प्रथम आम मुख्त्यार/राजपत्रित अधिकारी

# आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय करने की स्थिति में दिये जाने वाले शपथपत्र

प्रपत्र क्रमांक : शपथ-18.7

(नोटरीकृत : रूपये 50/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

(प्रथम/द्वितीय आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन की स्थिति में अनिवार्य रूप में संलग्न किया जाना है।)

- 1- मैं शपथगृहिता शपथ पर कथन करता हूँ कि :-  
योजनाक्रमांक..... संपत्ति क्रमांक.....के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती-.....  
.....निवासी-.....  
.....ने इस संपत्ति के लिये पंजीकृत आम मुख्त्यार दिनांक.....  
.....द्वारा मुझे आम मुख्त्यार नियुक्त किया है। आम मुख्त्यार की हैसियत से मैं यह लिख  
देता/ देतीहूँ कि :-  
मेरा पूरा नाम: .....  
आयु : .....वर्ष  
व्यवसाय : .....  
पता : .....
- 2- यह कि शपथकर्ता का उक्त भूमि में कोई भी हित नहीं है और न ही रहेगा।
- 3- यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त संपत्ति के लिये प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तें मान्य की जावेगी।
- 4- यह कि शपथकर्ता उक्त संपत्ति को न्यासी के रूप में धारण करेगा एवं स्वयं के लिये उपयोग नहीं होगा।
- 5- यदि भविष्य में किसी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो प्राधिकारी को उक्त संपत्ति का आवंटन निरस्त कर जप्त करने का अधिकार होगा।
- 6- यह कि शपथ पत्र मेरे द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु दिया जा रहा है।
- 7- यह कि उक्त संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार मुझ पर आम मुख्त्यार के प्रदत्त किया गया होने से उक्त संपत्ति मेरे द्वारा क्रेता श्री/श्रीमती-.....  
.....को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा विक्रय की गई है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता श्री/श्रीमती-.....  
.....के पक्ष में उक्त संपत्ति पर नाम दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे द्वारा उक्त संपत्ति क्रेता श्री/श्रीमती-.....  
.....के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने का सोदा तथा इकरारनामा नहीं किया है।
- 8- यह कि मूल आवंटिती/अंतरिती वर्तमान में जीवित है तथा मूल आवंटिती द्वारा निष्पादित आम मुख्त्यारनामा भी विक्रय पत्र दिनांक.....को प्रभावशील था।
- 9- यह कि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद या कोई दावेदार खड़ा हुआ तो उसके निराकरण की जवाबदारी मेरी रहेगी।

शपथगृहिता

## सत्यापन लेख

मैं .....सत्यापित करता/ करतीहूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत, जानकारी एवं विश्वास में सत्य है और इसमें कोई भी असत्य नहीं है और न ही छिपाया गया है।

शपथगृहिता

## क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

**प्रपत्र क्रमांक : शपथ-18.2(ख)\***

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

(\*प्रपत्र क्रमांक : अंतरण-18.2(क) अथवा अंतरण-18.2(ख) में से कोई एक प्रस्तुत करें।)  
(योजना क्रमांक 78 अरण्य के कोर हाऊस/एल.आय.जी.भूखण्डों के अंतरण के प्रकरणों हेतु)

मैं शपथगृहिता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि -

- 1- मेरा नाम : .....
- पिता का नाम : .....
- धंधा : .....
- उम्र : .....
- निवासी : .....
- मासिक आय : .....

- 2- यह कि मेरे द्वारा योजना क्रमांक 78 अरण्य में कोर हाऊस/निम्न आय वर्ग का भूखण्ड क्रमांक.....दिनांक.....को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया गया है। उस समय मैं ..... व्यवसाय/नौकरी करता था, तब मेरी मासिक आय रुपये.....थी जो आर्थिक रूप से कमजोर/निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आती है। इसी आधार पर मैं इन्दौर विकास प्राधिकरण में उक्त भूखण्ड क्रय कर मेरे नाम पर नामांतरण करवा रहा/ रही हूँ। यदि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नामांतरण की कार्यवाही में अथवा भूखण्ड नामांतरण होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्शाई गई तो उसक लिये मैं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी एवं इन्दौर विकास प्राधिकरण पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने दूँगा/ दूँगी एवं नुकसान नहीं होने दूँगा/ दूँगी।

शपथगृहिता

### सत्यापन लेख

मैं .....सत्यापित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत, जानकारी एवं विश्वास से सत्य है और उसमें कोई भी असत्य नहीं है और न छिपाया गया है।

शपथगृहिता

## क्रेता द्वारा दिया जाने वाले क्षतिपूर्ति लेख का प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : क्षतिपूर्ति-18.8

(नोटरीकृत : रुपये 500/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

(योजना क्रमांक 78 अरण्य के कोर हाऊस/एल.आय.जी.भूखण्डों केअंतरण के प्रकरणों हेतु)

कि - मैं यह क्षतिपूर्ति लेख इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ

1- मेरा नाम :

पिता का नाम:

धंधा :

उम्र :

निवासी :

मासिक आय :

2- यह कि मेरे द्वारा योजना क्रमांक 78 अरण्य में कोर हाऊस/निम्न आय वर्ग का भूखण्ड क्रमांक ..  
दिनांक.....को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर  
क्रय किया गया है।

3- यह कि उक्त भूखण्ड माह/वर्ष.....में न्यूनतम/ पूर्ण निर्माण होने के  
बाद ही मेरे द्वारा क्रय किया गया है। निम्न आय वर्ग के भूखण्ड का नक्शा नगर निगम द्वारा  
दिनांक.....को स्वीकृत किया गया है, जिस अनुसार मौके पर निर्माण कार्य है।

4- यह कि यह भूखण्ड मेरे द्वारा आवंटिती/मूल आवंटिती द्वारा नियुक्त मुख्यार श्री.....  
से क्रय किया गया है। उक्त भूखण्ड के लिये अन्य  
किसी व्यक्ति द्वारा कोई हक/अधिकार जताया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी एवं  
इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय लिया जावेगा, वह मुझ पर  
बंधनकारक होगा।

हस्ताक्षर निष्पादक

नाम-.....

## मासिक आय/निम्न आय वर्ग के प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : आयप्रमाण-18.9

(योजना क्रमांक 78 अरण्य के कोर हाऊस/एल.आय.जी.भूखण्डों के अंतरण के प्रकरणों हेतु)

पत्र क्रमांक :

दिनांक :

### प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
पिता/पति श्री..... निवासी-.....  
.....द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर माह.....वर्ष.....में  
इनके परिवार की कुल मासिक आय रुपये.....प्रतिमाह थी, जिसके आधार पर  
श्री/श्रीमती.....आर्थिक रूप से कमजोर/निम्न आय वर्ग की श्रेणी  
में आते हैं।

प्रमाणीकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-.....

पदनाम-.....

## नामान्तरण हेतु संलग्न दस्तावेजों की सूची

सूची क्रमांक : संलग्न-18.10

संलग्न क्रमांक	संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
संलग्न-1	आवेदक तथा आवंटिती/ अंतरिती के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित पृथक-पृथक छायाप्रतियाँ	
संलग्न-2	प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख की छायाप्रति	
संलग्न-3	पंजीकृत विलेख की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि.	
संलग्न-4	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-5	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-6	आम मुख्यारनामे की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि	
संलग्न-7	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

1.आवेदक तथा आवंटिती/ अंतरिती के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ यहाँ संलग्न करें।

संलग्न  
अ.क्र.-1

2.प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख की छायाप्रति यहाँ संलग्न करें।

संलग्न  
अ.क्र.-2

3. पंजीकृत विलेख की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपियहाँ संलग्न करें।

संलग्न  
अ.क्र.-3

4.नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे की छायाप्रतियहाँ संलग्न करें।

संलग्न  
अ.क्र.-4

5.भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र यहाँ संलग्न करें।

संलग्न  
अ.क्र.-5

6.आम मुख्यारनामे की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियहाँ संलग्न करें।

संलग्न  
अ.क्र.-6

7.संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटोयहाँ संलग्न करें।

संलग्न  
अ.क्र.-7

## मृत्यु अंतरण आवेदन का प्रारूप(वसीयत वाले प्रकरण)

**प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-19**

\*वसीयतधारी वारिस/वारिसों क नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।  
\*वसीयतधारी वारिस/वारिसों के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
सम्पदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

विषय: संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वसीयतधारी वारिस/वारिसों के नाम पर अंतरण करने बाबद।  
संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक : 

--	--	--	--	--	--	--

महोदय,

निवेदन है कि विषयांकित संपत्ति प्राधिकारी रेकार्ड में ..... के नाम पर आवंटित है। संपत्तिधारक ..... का निधन दिनांक ..... को हो गया है। आवंटिती द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक ..... अनुसार संपत्तिधारक का .....होने के नाते मुझे/ हमें, एकल/ संयुक्त रूप से संपत्ति का वारिस नियुक्त किया है। अतः उक्त संदर्भित संपत्तिप्राधिकारी अभिलेख में मेरे/ हमारे नाम पर अंतरित करने का कष्ट करें। अंतरण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार संलग्न हैं :-

प्रपत्र क्रमांक	निर्धारित प्रपत्रों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
प्रतिनिधि पत्र-1	आवेदक आवंटिती/ अंतरिती न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र	
अंतरण-19.1	वसीयतधारी वारिस/ वारिसों के घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-19.2	वसीयतधारी वारिस/ वारिसोंका शपथ पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-19.3	वसीयतधारी वारिस/ वारिसों का इकरारनामा (रु.1000/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प)	
अंतरण-19.4	वसीयतधारी वारिस/ वारिसों का अभिवचन पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-19.5	वसीयतनामा के गवाहों के शपथ-पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-19.6	वसीयतधारी हितग्राहियों द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख (रु.500/-के स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-19.7	हितग्राहियों के वैध वारिसों द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख(रु.500/के स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
संलग्न क्रमांक	संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
संलग्न-1	आवेदक/ वसीयतधारी/ वसीयतनामा के गवाहोंके आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियां	
संलग्न-2	प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख की छायाप्रति	
संलग्न-3	वसीयतनामा की प्रमाणित छायाप्रति	
संलग्न-4	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-5	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-6	मूल आवंटिती/ अंतरिती संपत्तिधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति	
संलग्न-7	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से पाधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)



**प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति के नामांतरण हेतु  
वसीयतधारी (हितग्राही) का घोषणा पत्र**

**प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-19.1**

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु आवंटित है।संपत्तिधारक ..... का निधन दिनांक ..... को हो गया है। आवंटिती द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक ..... अनुसार संपत्तिधारक का .....होने के नाते मुझे/ हमें, एकल/ संयुक्त रूप से संपत्ति का वारिस नियुक्त किया है। अतः उक्त संदर्भित संपत्तिप्राधिकारी अभिलेख में मेरे/ हमारे नाम पर अंतरित करने हेतु मेरे/हमारे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ/हम हितग्राहियों पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तें/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक है। तदनुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे/हमारे द्वारा संपत्ति/भवन का उपयोग लीज शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर नामांतरण अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

वसीयतधारी (हितग्राहियों)द्वारा प्रतिपूर्ति किया जावे
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## वसीयतधारी (हितग्राही) द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : शपथ-19.2

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

- 1- मेरा नाम : .....  
पिता का नाम : .....  
धंधा : .....  
उम्र : .....  
निवासी : .....  
मासिक आय : .....
- 2- यह कि श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु आवंटित है। उक्त संपत्तिधारक ..... का निधन दिनांक .....को हो गया है। आवंटिती द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक ..... अनुसार संपत्तिधारक का .....होने के नाते मुझे/हमें, एकल/संयुक्त रूप से संपत्ति का वारिस नियुक्त किया है।
- 3- यह कि चरण-2 में उल्लेखित उक्त संदर्भित संपत्तिप्राधिकारी अभिलेख में मेरे/हमारे नाम पर अंतरित करने हेतु मेरे/हमारे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है।
- 4- यह कि मेरे/हमारे द्वारा अंतरण बाबद प्रस्तुत आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं और मुझे/हमें विश्वास है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक होकर संदेह से परे है।
- 5- यह कि उक्त संपत्ति समस्त विवादों से मुक्त है। मौके पर मेरा/हमारा ही आधिपत्य है तथा वसीयत अनुसार संपत्ति के समस्त स्वत्वाधिकार प्राप्त हैं।
- 6- यह कि उपरोक्त संपत्ति का अंतरण प्राधिकरण द्वारा मेरे/हमारे नाम पर किये जाने के उपरांत यदि किसी व्यक्ति/संस्था या किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/विवाद या न्यायालयीन कार्यवाही की तो कोई नुकसानी/खर्चा लगने नहीं देवेंगे।

शपथगृहिता

### सत्यापन लेख

मैं .....सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत, जानकारी एवं विश्वास से सत्य है और उसमें कोई भी असत्य नहीं है और न छिपाया गया है।

शपथगृहिता

## वसीयतधारी (हितग्राही) द्वारा दिया जाने वाले इकरार नामे का प्रारूप

**प्रपत्र क्रमांक : इकरारनामा-19.3**

(रूपये 1000/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

1) मैं वसीयतधारी इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में यह इकरारनामा लिख देता/ देती हूँ कि:-

अ.क्र.	पूरा नाम	उम्र	धंधा	निवासी
1.				

- 2) प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... का संपत्ति क्रमांक ..... जिसका क्षेत्रफल ..... है, ..... के नाम पर आवंटित है। आवंटिती ..... का निधन दिनांक ..... हो गया है। मृतक ..... द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक ..... द्वारा उक्त संपत्ति के लिए ..... होने नाते मुझे वसीयतधारी नियुक्त किया है। जिसकी प्रमाणित/सत्यापित प्रति मेरे द्वारा प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।
- 3) उक्त संपत्ति जिन शर्तों पर स्व. .... के नाम पर आवंटित किया गया है उसकी पूर्ण माहिती मुझे है एवं वे समस्त शर्तें मुझ पर भी बंधनकारक है एवं मैं उनका पालन करूंगा। ऐसा न करने की दशा में प्राधिकारी को मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जिसके लिए हम किसी भी प्रकार का आपत्ति अथवा क्लेम द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं करूंगा।
- 4) उक्त संपत्ति के प्रीमियम अथवा लीजरेंट वार्षिक एवं कम्पाउंडिंग फीस आदि के पेटे जो भी बकाया राशि है, उसकी अदायगी का दायित्व मेरा ही रहेगा।
- 5) यह कि मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामा में उल्लेखित गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
- 6) उक्त संपत्ति के संबंध में प्राधिकारी अथवा शासन के निर्देशानुसार भविष्य में कोई अन्य शर्तें प्रतिपादित की गईं तो मैं उनका पालन करूंगा/ करूंगी और वे मुझ पर बंधनकारक होंगे।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	

## वसीयतधारी (हितग्राही) द्वारा दिया जाने वाले अभिवचन पत्र का प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : अभिवचन-19.4

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं/ हम ..... पिता/पति श्री.....  
.....निवासी-.....यहअभिवचन-पत्र लिखकर  
देता/देती हूँ कि :-

1- यह कि श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती  
..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में  
संपत्ति क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....  
द्वारा ..... प्रयोजन हेतु आवंटित है। उक्त संपत्तिधारक .....  
..... का निधन दिनांक .....को हो गया है। आवंटिती द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित पंजीकृत  
वसीयतनामा दिनांक ..... अनुसार संपत्तिधारक का .....होने के नाते मुझे/ हमें,  
एकल/ संयुक्त रूप से संपत्ति का वारिस नियुक्त किया है।

2- उक्त भूखण्ड के नामांतरण के संबंध में, मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। शासन के  
नियमानुसार समझौता शुल्क की राशि जमा की गई है किंतु फिर भी समझौता शुल्क की राशि  
के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश व नियमों में भविष्य में कोई संशोधन किया जाता है, तो  
इस अनुसार यदि पूर्व दिनांक से कोई राशि देय होगी तो यह अभिवचन पत्र देता/देती हूँ कि  
उस अनुसार यह अतिरिक्त बढ़ी हुई राशि मैं देने को तत्पर रहूँगा/ रहूँगी। यदि उक्त राशि  
प्राधिकरण द्वारा जारी मांग पत्र से 30 दिन में मेरे द्वारा जमा नहीं की जाती है तो प्राधिकरण को  
यह अधिकार होगा कि वह उक्त भूखण्ड की लीज निरस्त कर देवें तथा बकाया राशि भू-राजस्व  
के बकाया के बतौर वसूल करने के लिये कार्यवाही करें।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....

## वसीयतनामा के गवाह द्वारा भरा जाने वाला शपथपत्रका प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : शपथ-19.5

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

1) मैं शपथगृहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता/ करतीहूँ कि :-

अ. क्र.	पूरा नाम	उम्र	धंधा	पता
1				
2				

2) यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति क्रमांक ..... आवंटिती ..... के नाम पर आवंटित है ।

3) यह कि आवंटिती ..... का निधन दिनांक ..... हो गया है। मृतक ..... द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक ..... द्वारा उक्त संपत्ति के लिए ..... को वसीयतधारी नियुक्त किया था ।

4) यह कि उक्त वसीयतनामा मृतक ..... ने अपनी स्वेच्छा से, स्वस्थ बुद्धि एवं स्वस्थ मानसिकता में पढकर एवं पढवाकर अपने हस्ताक्षर कर मेरे समक्ष निष्पादित किया था, जिसमें गवाह में मैंने अपनी स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये थ।

यह कि शपथ-पत्र मैंने अपनी राजी मर्जी से बिना किसी धोंस दबाव के स्वस्थ मानसिक दशा में, बिना नशा पानी किये लिख दिया है, सो सही है जो मुझे एवं मेरे उत्तराधिकारियों पर बंधनकारक होगा ।

इन्दौर दिनांक .....

हस्ताक्षर शपथगृहिता

सत्यापन लेख

मैं शपथगृहिता शपथपूर्वक कथन करता/ करतीहूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र का कुल कथन मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास से सत्य है । इसमें कोई असत्य कथन लिखवाया नहीं है और न ही कोई सत्य छुपाया है ।

इन्दौर दिनांक .....

हस्ताक्षर शपथगृहिता

## वसीयतधारी (हितग्राही)के द्वारा भरा जाने वाला क्षतिपूर्ति लेखका प्रारूप

प्रपत्र क्रमांक : क्षतिपूर्ति-19.6

(नोटरीकृत : रुपये 500/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

1) मैं यह क्षतिपूर्ति लेख इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निम्नानुसार संपादित कर देता/ देतीहूँ कि :-

अ.क्र.	पूरा नाम	उम्र	धंधा	निवासी
1.				
2.				
3.				
4.				

- 2) यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... के संपत्ति क्रमांक ..... के नाम पर आवंटित है।
- 3) यह कि आवंटिती ..... का निधन दिनांक ..... हो गया है।
- 4) यह कि चरण क्रमांक 2 में उल्लेखित संपत्ति बाबद मृतक ..... द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित पंजीकृत वसीयनामा दिनांक ..... द्वारा उक्त संपत्ति के लिए ..... होने नाते मुझे वसीयतधारी नियुक्त किया है।
- 5) यह कि मृतक द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा में उल्लेखित गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किये गये है।
- 6) मैं यह लिख देता/ देतीहूँ कि संपत्ति क्रमांक..... योजना क्र. .... के संबंध में भविष्य में यदि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आपत्ति इस बारे में उठाई और संपत्ति पर अपना स्वत्व दर्शाया या कोई कार्यवाही की तो उसकी समस्त जवाबदारी मेरी होगी और इस संबंध में यदि प्राधिकरण को कोई क्षति हुई तो उसकी पूर्ति में मांग करने पर बिना उजर आवश्यक रकम प्राधिकरण में जमा कर दूंगा/ दूंगी तथा संपत्ति प्राधिकरण को बिना उजर समर्पित कर दूंगा/ दूंगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति लेख हमने अपनी इच्छा से स्वस्थ बुद्धि की अवस्था में साक्षियों के समक्ष प्राधिकरण के पक्ष में संपादित कर हस्ताक्षर कर दिये ताकि सनद रहे। समय पर उपयोगी सिद्ध हो।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	

**वसीयतधारी (हितग्राही)के वैध वारिसों द्वारा भरा जाने वाला  
क्षतिपूर्ति लेखका प्रारूप**

**प्रपत्र क्रमांक : क्षतिपूर्ति-19.7**

(नोटरीकृत : रुपये 500/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

1) मैं यह क्षतिपूर्ति लेख इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निम्नानुसार संपादित कर देता/ देतीहूँ कि :-

अ.क्र.	पूरा नाम	उम्र	धंधा	निवासी
1.				
2.				
3.				
4.				

2) यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... के संपत्ति क्रमांक ..... के नाम पर आवंटित है।

3) यह कि आवंटिती ..... का निधन दिनांक ..... हो गया है।

4) यह कि चरण क्रमांक 2 में उल्लेखित संपत्ति बाबद मृतक ..... द्वारा मृत्यु पूर्व निष्पादित पंजीकृत वसीयनामा दिनांक ..... द्वारा उक्त संपत्ति के लिए .....होने नाते मुझे वसीयतधारी नियुक्त किया है ।

5) यह कि मृतक द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा में उल्लेखित गवाहों के शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किये गये है ।

6) मैं यह लिख देता/ देतीहूँ कि संपत्ति क्र. .... योजना क्र. .... के संबंध में भविष्य में यदि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आपत्ति इस बारे में उठाई और संपत्ति पर अपना स्वत्व दर्शाया या कोई कार्यवाही की तो उसकी समस्त जवाबदारी मेरी होगी और इस संबंध में यदि प्राधिकरण को कोई क्षति हुई तो उसकी पूर्ति में मांग करने पर बिना उजर आवश्यक रकम प्राधिकरण में जमा कर दूंगा/ दूंगी तथा संपत्ति प्राधिकरण को बिना उजर समर्पित कर दूंगा/ दूंगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति लेख हमने अपनी इच्छा से स्वस्थ बुद्धि की अवस्था में साक्षियों के समक्ष प्राधिकरण के पक्ष में संपादित कर हस्ताक्षर कर दिये ताकि सनद रहे । समय पर उपयोगी सिद्ध हो ।  
इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....

## मृत्यु अंतरण (वसीयत वाले प्रकरण) हेतु संलग्न दस्तावेजों की सूची

सूची क्रमांक : संलग्न-19.8

संलग्न क्रमांक	संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
संलग्न-1	आवेदक/ वसीयतधारी/ वसीयतनामा के गवाहों के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियां	
संलग्न-2	प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख की छायाप्रति	
संलग्न-3	वसीयतनामा की प्रमाणित छायाप्रति	
संलग्न-4	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-5	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-6	मूल आवंटिती/ अंतरिती संपत्तिधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति	
संलग्न-7	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

**1.आवेदक / वसीयतधारी / वसीयतनामा के गवाहों के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-1

**2.प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख की छायाप्रति यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-2

**3.वसीयतनामा की प्रमाणितप्रतिलिपियहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-3

**4.नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे की छायाप्रतियहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-4

**5.भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-5

**6.मूल आवंटिती/अंतरिती संपत्तिधारक के मृत्यु प्रमाणपत्र एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रतिसंलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-6

**7.संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-7



## संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वारिस (हितग्राहियों) के नाम पर अंतरण हेतु आवेदन(बगैर वसीयत वाले प्रकरण)

**प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-20**

प्रति,  
सम्पदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकारी  
इन्दौर

\* वारिस/वारिसों क नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।  
\* वारिस/वारिसों के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

विषय: संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वारिस/वारिसों के नाम पर अंतरण करने बाबद।

संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक : 

--	--	--	--	--	--	--	--

महोदय,

निवेदन है कि विषयांकित संपत्ति प्राधिकारी रेकार्ड में ..... के नाम पर आवंटित है। संपत्तिधारक ..... का निधन दिनांक ..... को हो गया है। संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त मैं/ हम, एकल/ संयुक्त रूप से संपत्ति के वैध वारिस हैं। अतः उक्त संदर्भित संपत्तिप्राधिकारी अभिलेख में मेरे/ हमारे नाम पर अंतरित करने का कष्ट करें। अंतरण के संबंध में आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार संलग्न हैं :-

प्रपत्र क्रमांक	निर्धारित प्रपत्रों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(✓)
प्रतिनिधि पत्र-1	आवेदक आवंटिती/ अंतरिती न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र	
अंतरण-20.1	वारिस/ वारिसों के घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूडि. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-20.2	वारिस/ वारिसोंका शपथ पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूडि. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-20.3	वारिस/ वारिसों का इकरारनामा (रु.1000/- के नॉन-ज्यूडि. स्टॉम्प)	
अंतरण-20.4	वारिस/ वारिसों का अभिवचन पत्र(रु.100/ के नॉन-ज्यूडि. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-20.5	वारिस/ वारिसों द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख (रु.500/-के स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
संलग्न क्रमांक	संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(✓)
संलग्न-1	आवेदक/ हितग्राहियों के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियां	
संलग्न-2	प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख/ आवंटन पत्र की छायाप्रति	
संलग्न-3	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-4	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-5	मूल आवंटिती/ अंतरिती संपत्तिधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति	
संलग्न-6	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

**संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वारिस (हितग्राहियों) के नाम पर  
अंतरण हेतु घोषणा पत्र(बगैर वसीयत वाले प्रकरण)**

**प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-20.1**

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु आवंटित है। संपत्तिधारक ..... का निधन दिनांक ..... को हो गया है। अवगत हो कि मैं/ हम, एकल/ संयुक्त रूप से संपत्ति के वैध वारिस हूँ/ है।

अतः उक्त संदर्भित संपत्तिप्राधिकारी अभिलेख में मेरे/ हमारे नाम पर अंतरित करने हेतु मेरे/हमारे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ/हम हितग्राहियों पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन, मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा एवं लीजडीड की शर्तें बंधनकारक है। तदनुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे/हमारे द्वारा संपत्ति/भवन का उपयोग लीज शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्ति/भवन के मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व लीजडीड में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर नामांतरण अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

वैध वारिस (हितग्राही)द्वारा प्रतिपूर्ति किया जावे
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

**संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वारिस (हितग्राहियों) के नाम पर  
अंतरण हेतु शपथ पत्र(बगैर वसीयत वाले प्रकरण)**

**प्रपत्र क्रमांक : शपथ-20.2**

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

1- मेरा नाम : .....  
पिता का नाम : .....  
धंधा : .....  
उम्र : .....  
निवासी : .....  
मासिक आय : .....

2- यह कि श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती .....  
..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति  
क्रमांक ..... का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा .....  
..... प्रयोजन हेतु आवंटित है। उक्त संपत्तिधारक ..... का निधन  
दिनांक ..... को हो गया है। मैं/ हम आवेदनकर्ता आवंटिती के वैध वारिस/ वारिसों का  
विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	वैध वारिस/ वारिसों का पूरा नाम	उम्र	मृतक संपत्तिधारक से संबंध	पता
1.				
2.				
3.				

3- यह कि चरण-2 में उल्लेखित उक्त संदर्भित संपत्ति प्राधिकारी अभिलेख में मेरे/ हमारे नाम पर अंतरित करने हेतु मेरे/हमारे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है।  
4- यह कि मेरे/ हमारे द्वारा अंतरण बाबद प्रस्तुत आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं और मुझे/ हमें विश्वास है कि मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक होकर संदेह से परे हैं।  
5- यह कि उक्त संपत्ति समस्त विवादों से मुक्त है। मौके पर मेरा/ हमारा ही आधिपत्य है तथा संपत्ति के समस्त स्वत्वाधिकार प्राप्त हैं।  
6- यह कि उपरोक्त संपत्ति का अंतरण प्राधिकरण द्वारा मेरे/ हमारे नाम पर किये जाने के उपरांत यदि किसी व्यक्ति/संस्था या किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/विवाद या न्यायालयीन कार्यवाही की तो कोई नुकसानी/खर्चा लगने नहीं देवेंगे।

शपथगृहिता

**सत्यापन लेख**

मैं .....सत्यापित करता/ करतीहूँ कि मेरे/  
हमारे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत, जानकारी एवं विश्वास से सत्य है और उसमें कोई भी असत्य नहीं है और न छिपाया गया है।

शपथगृहिता

**संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वारिस (हितग्राहियों) के नाम पर  
अंतरण हेतु इकरारनामा (बगैर वसीयत वाले प्रकरण)**

**प्रपत्र क्रमांक : इकरारनामा-20.3**

(रूपये 1000/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

- 1) विषयाधीन संपत्ति के नामान्तरण हेतु मैं/ हमआवेदनकर्ता इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में यह इकरारनामा लिख देता/ देतीहूँ कि:-

अ. क.	वैध वारिस/ वारिसों का पूरा नाम	उम्र	मृतक संपत्तिधारक से संबंध	पता
1.				
2.				
3.				

- 2) प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... का संपत्ति क्रमांक ..... जिसका क्षेत्रफल ..... है, ..... के नाम पर आवंटित है। आवंटिती ..... का निधन दिनांक .....को हो गया है। अवगत हो कि मैं/ हम, एकल/ संयुक्त रुप से संपत्ति के वैध वारिस हूँ/ है।
- 3) उक्त संपत्ति जिन शर्तों पर स्व. .... के नाम पर आवंटित किया गया है उसकी पूर्ण माहिती मुझे/ हमें है एवं वे समस्त शर्तें मुझ/ हम पर भी बंधनकारक है एवं मैं/ हम उनका पालन करुंगा/ करेंगे। ऐसा न करने की दशा में प्राधिकारी को मेरे/ हमारे विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जिसके लिए मैं/ हम किसी भी प्रकार को आपत्ति अथवा क्लेम द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं करुंगा/ करेंगे।
- 4) उक्त संपत्ति के प्रीमियम अथवा लीजरेंट वार्षिक एवं कम्पाउंडींग फीस आदि के पेटे जो भी बकाया राशि है, उसकी अदायगी का दायित्व मेरा/ हमाराही रहेगा।
- 6) उक्त संपत्ति के संबंध में प्राधिकारी अथवा शासन के निर्देशानुसार भविष्य में कोई अन्य शर्तें प्रतिपादित की गईं तो मैं/ हम उनका पालन करुंगा/ करेंगे और वे मुझ/ हम पर बंधनकारक हागो ।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	

**संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वारिस (हितग्राहियों) के नाम पर  
अंतरण हेतु अभिवचन पत्र(बगैर वसीयत वाले प्रकरण)**

**प्रपत्र क्रमांक : अभिवचन-20.4**

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

- 1) विषयाधीन संपत्ति के नामान्तरण हेतु मैं/ हमआवेदनकर्ता इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में यह अभिवचन-पत्र लिखकर देता/देती ह कि :-

अ. क.	वैध वारिस/ वारिसों का पूरा नाम	उम्र	मृतक संपत्तिधारक से संबंध	पता
1.				
2.				
3.				

- 2) यह कि श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... मे संपत्ति क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु आवंटित है। उक्त संपत्तिधारक ..... का निधन दिनांक .....को हो गया है। अवगत हो कि मैं/ हम, एकल/ संयुक्त रूप से संपत्ति के वैध वारिस हूँ/ है।

- 3) उक्त भूखण्ड के नामान्तरण के संबंध में, मैंने/ हमने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। शासन के नियमानुसार समझौता शुल्क की राशि जमा की गई है किंतु फिर भी समझौता शुल्क की राशि के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश व नियमों में भविष्य में कोई संशोधन किया जाता है, तो इस अनुसार यदि पूर्व दिनांक से कोई राशि देय होगी तो यह अभिवचन पत्र देता/देती हूँ कि उस अनुसार यह अतिरिक्त बढ़ी हुई राशि मैं/ हम देने को तत्पर रहूँगा/ रहेंगे। यदि उक्त राशि प्राधिकरण द्वारा जारी मांग पत्र से 30 दिन में मेरे/ हमारे द्वारा जमा नहीं की जाती है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह उक्त भूखण्ड की लीज निरस्त कर देवे तथा बकाया राशि भू-राजस्व के बकाया के बतार वसूल करने के लिये कार्यवाही करे।

इन्दौर/ दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....

**संपत्तिधारक की मृत्यु उपरान्त वारिस (हितग्राहियों) के नाम पर  
अंतरण हेतु क्षतिपूर्ति लेख (बगैर वसीयत वाले प्रकरण)**

**प्रपत्र क्रमांक : अंतरण-20.5**

(नोटरीकृत : रुपये 500/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

- 1) विषयाधीन संपत्ति के नामान्तरण हेतु मैं/ हमआवेदनकर्ता इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में यह क्षतिपूर्ति लेख लिखकर देता/ देती हूँ कि :-

अ. क्र.	वैध वारिस/ वारिसों का पूरा नाम	उम्र	मृतक संपत्तिधारक से संबंध	पता
1.				
2.				
3.				

- 2) यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... के संपत्ति क्रमांक ..... के नाम पर आवंटित है।
- 3) यह कि आवंटिती ..... का निधन दिनांक ..... हो गया है।
- 4) यह कि मैं/ हम, एकल/ संयुक्त रूप से संपत्ति के वैध वारिस हूँ/ है।
- 5) मैं/ हम यह लिख देता/ देतीहूँकि संपत्तिक्र. .... योजना क्र. . .... के संबंध में भविष्य में यदि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आपत्ति इस बारे में उठाई और संपत्ति पर अपना स्वत्व दर्शाया या कोई कार्यवाही की तो उसकी समस्त जवाबदारी मेरी/ हमारी होगी और इस संबंध में यदि प्राधिकरण को कोई क्षति हुई तो उसकी पूर्ति मैं/ हम मांग करने पर बिना उजर आवश्यक रकम प्राधिकरण में जमा कर दूंगा/ देंगे तथा संपत्ति प्राधिकरण को बिना उजर समर्पित कर दूंगा/ दूंगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति लेख मैंने/ हमने अपनी इच्छा से स्वस्थ बुद्धि की अवस्था में साक्षियों के समक्ष प्राधिकरण के पक्ष में संपादित कर हस्ताक्षर कर दिये ताकि सनद रहे। समय पर उपयोगी सिद्ध हो ।

इन्दौर/ दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....

मृत्यु अंतरण (बगैर वसीयत वाले प्रकरण)हेतु संलग्न दस्तावेजों की सूची

**सूची क्रमांक : संलग्न-20.6**

संलग्न क्रमांक	संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
संलग्न-1	आवेदक/ हितग्राहियों के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ	
संलग्न-2	प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख/ आवंटन पत्र की छायाप्रति	
संलग्न-3	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-4	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-5	मूल आवंटिती/ अंतरिती संपत्तिधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति	
संलग्न-6	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

**1.आवेदक/ हितग्राहियों के आधारकार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ यहाँ संलग्न करें।**

**संलग्न  
अ.क्र.-1**

**2.प्राधिकारी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विलेख/ आवंटन पत्र की छायाप्रति यहाँ संलग्न करें।**

**संलग्न  
अ.क्र.-2**

**3.नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे की छायाप्रतियहां संलग्न करें।**

**संलग्न  
अ.क्र.-3**

**4.भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र यहां संलग्न करें।**

**संलग्न  
अ.क्र.-4**

**5.मूल आवंटिती/अंतरिती संपत्तिधारक के मृत्युप्रमाणपत्र एवं आधार कार्ड की प्रमाणितछायाप्रतिसंलग्न करें।**

**संलग्न  
अ.क्र.-5**

**6.संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो यहां संलग्न करें।**

**संलग्न  
अ.क्र.-6**



## आवंटन से अंतरण हेतु आवेदन

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

**प्रपत्र क्रमांक : आवेदन-21**

\* क्रेता का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।  
\* क्रेता के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

विषय : आवंटित संपत्ति के प्रीमियम की राशि क पूर्ण भुगतान से पूर्व आवंटन से अंतरण करने बाबद।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्राधिकारी द्वारा ..... के नाम से आवंटित उक्त संदर्भित संपत्तिको उभय पक्षों की पूर्ण सहमति से मेरे/हमारे द्वारा पंजीकृत अनुबंध लेख दिनांक .. द्वारा क्रय किया गया है। अतः प्राधिकारी अभिलेख में संपत्ति का आवंटन से अंतरण मेरे/हमारे नाम पर अंकित करने का कष्ट करें। इस संबंध में निर्धारित नियम एवं अंतरण शुल्क मुझे/हमें मान्य है। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार संलग्न हैं :-

प्रपत्र क्रमांक	निर्धारित प्रपत्रों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
प्रतिनिधि पत्र-1	आवेदक आवंटिती/ अंतरिती न होने के दशा में प्रतिनिधि पत्र	
अंतरण-21.1	क्रेता का घोषणा पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-21.2*	(क) क्रेता तथा विक्रेता का संयुक्त शपथ पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-21.3	क्रेता का इकरारनामा (रु.1000/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प)	
अंतरण-21.4	क्रेता का अभिवचन पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-21.5	(क) विक्रेता- आवंटिती/ अंतरिती/ (ख) प्रथम या (ग) द्वितीय आम मुख्ख्यार द्वारा अनापत्ति पत्र	
अंतरण-21.6	प्रथम या द्वितीय आम मुख्ख्यार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण	
अंतरण-21.7	प्रथम या द्वितीय आम मुख्ख्यार का शपथ पत्र (रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
<b>नोट</b>	<b>योजना क्रमांक 78 के प्रकरणों में निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज भी संलग्न करें :-</b>	
अंतरण-21.2*	(ख) क्रेता का शपथ पत्र(रु.100/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-21.8	क्रेता द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख (रु.500/- के नॉन-ज्यूड. स्टॉम्प पर नोटरीकृत)	
अंतरण-21.9	क्रेता का मासिक आय/ निम्न आय वर्ग का प्रमाण पत्र	
<b>संलग्न क्रमांक</b>	<b>संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट</b>	<b>(√)</b>
संलग्न-1	आवेदक तथा आवंटिती/ अंतरिती के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित पृथक-पृथक छायाप्रतियां	
संलग्न-2	यदि आवंटित संपत्ति आरक्षित श्रेणी को है तो आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि	
संलग्न-3	संपत्ति पेटे जमा किश्तों एवं लीज जमा रसीद की फोटोकॉपी	
संलग्न-4	प्राधिकारी कार्यालय से जारी आवंटन पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
संलग्न-5	पंजीकृत (कब्जा रहित) विक्रय अनुबन्ध-विलेख की प्रमाणित प्रति	
संलग्न-6	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-7	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-8	आम मुख्ख्यारनामे की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि	
संलग्न-9	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

आवेदक (हितग्राही से भिन्न आवेदक प्रतिपूर्ति कर)	हितग्राही (वर्तमान संपत्ति धारकप्रतिपूर्तिकरें)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता	वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
आधार नंबर	आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस	ई-मेल एड्रेस

## पारिवारिक सदस्य के लिये हितग्राही द्वारा जारी किया जावे

### प्रपत्र क्रमांक : पारिवारिक प्रतिनिधि पत्र-1

(हितग्राही से भिन्न पारिवारिक प्रतिनिधि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें)

मैं (हितग्राही का नाम).....  
प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि योजना क्रमांक ..... स्लाईस/ सेक्टर ..... का भूखण्ड क्रमांक ..... के लिये (इ.वि.प्रा. से वांछित सेवा का नाम, जैसे - मॉर्गेंज अनापत्ति, पुनर्जीवित, पता परिवर्तन, लीज नवीनीकरण, लीज होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन, नामान्तरण, रजिस्ट्री इत्यादि) ..... हेतु संलग्न आवेदन प्रस्तुत करना चाहता/ चाहती हूँ किन्तु मैं 1. मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक होने के कारण/ 2. शहर से बाहर होने के कारण/ 3. तबीयत ठीक नहीं होने के कारण/ या 4. अन्य कारण (कारण स्पष्ट लिखें) ..... से प्राधिकरण कार्यालय में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः उक्त आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी कार्यवाही करने के लिये मैं इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा मेरे पिता/ माता/ भाई/ बहन/ पति/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री (जो लागू हो उसे (✓) करें) (आवेदक प्रतिनिधि का नाम) श्री/ श्रीमती ..... को इस प्रतिनिधि पत्र द्वारा अधिकृत करने के लिये उनके फोटो तथा हस्ताक्षर का नमूना निम्नानुसार सत्यापित करता/ करती हूँ।

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना .....  
(दिनांक सहित)

प्रतिनिधि  
का फोटो

उक्त हस्ताक्षर एवं फोटो के  
सत्यापन हेतु हितग्राही के .....  
हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

## आवंटन से अंतरण हेतुक्रेता का घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-21.1

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं श्री/श्रीमती ..... पिता/पति श्री/श्रीमती ..... एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि श्री ..... को प्राधिकारी की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति क्रमांक .....का आवंटन/अंतरण पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा ..... प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा विक्रय विलेख दिनांक ..... द्वारा क्रय किया गया है। उक्त संपत्ति के नामांतरण हेतु मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझ क्रेता पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों/निरंतर पंजीयन प्रथा के अंतर्गत उल्लेखित शर्तें मूल आवंटन एवं मूल आवंटिती के साथ निष्पादित इकरारनामा को शर्तें बंधनकारक है। तदनुसार किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा संपत्तिका उपयोग निविदा की शर्तों में उल्लेखित प्रयोजन अनुसार ही किया जा रहा है। प्राधिकारी द्वारा आवंटित संपत्तिके मौके के वर्तमान फोटोग्राफ दिनांक सहित प्रमाण स्वरूप संलग्न प्रस्तुत है।

आवंटन, इकरारनामा व निविदा में उल्लेखित उपयोग एवं स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर नामांतरण अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

हितग्राही (क्रेता) द्वारा प्रतिपूर्ति किया जावे
हस्ताक्षर
नाम
वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता
मोबाईल नंबर
आधार नंबर
ई-मेल एड्रेस

## आवंटन से अंतरण हेतुक्रेता तथा विक्रेता का संयुक्त घोषणा पत्र

प्रपत्र क्रमांक : घोषणा-21.2

(नोटरीकृत : रूपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं ..... निवासी ..... उम्र ..... वर्ष  
जिन्हें आगे चलकर इस संयुक्त शपथ-पत्र में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया गया है।

एवं  
मैं ..... निवासी ..... उम्र ..... वर्ष आगे  
चलकर इस संयुक्त शपथ-पत्र में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया गया है।

हम प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार निम्नानुसार संयुक्त रूप से सत्यपूर्वक कथन करते हैं कि :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार की योजना क्रमांक ..... में संपत्ति क्रमांक..... है, जिसे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा ..... द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित किया गया है।
2. यह कि प्रथम पक्षकार अपनी उक्त संपत्ति निजी कारण एवं स्वेच्छा से द्वितीयपक्षकार के नाम से आवंटन से अंतरण कर रहे हैं।
3. यह कि द्वितीयपक्षकार को म.प्र. राज्य में किसी भी विकास प्राधिकरण की ओर से संपत्तियों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत अथवा प्राधिकरण द्वारा नियत दर पर कोई संपत्ति आवंटित नहीं की गई है। (ऐसे प्रकरणों में लागू जहां द्वितीय पक्षकार उक्त विशिष्ट श्रेणी का आवेदक हो)
4. यह कि द्वितीय पक्षकार यह शपथपूर्वक घोषणा करता है कि मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों के नाम से इन्दौर विकास प्राधिकारी में संपत्ति/भवन/भूखण्ड/दुकान नहीं है, यदि यह तथ्य गलत या असत्य साबित होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। प्राधिकारी ऐसी स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा। (ऐसे प्रकरणों में लागू जहां द्वितीय पक्षकार उक्त विशिष्ट श्रेणी का आवेदक हो)
5. यह कि आज दिनांक से (शपथ-पत्र निष्पादन दिनांक से) उक्त संपत्ति पर द्वितीय पक्षकार का वैधानिक हक्क/आधिपत्य रहेगा, अब प्रथम पक्षकार अथवा इनके वारिसानों का किसी भी प्रकार का कोई आधिपत्य/हक्क नहीं रहेगा।
6. यह कि इन्दौर विकास प्राधिकारी की कोई भी धनराशि यथा निर्धारित देय किश्तें, समझौता शुल्क एवं लीजरेंट इत्यादि अंतरण के पूर्व की अथवा पश्चात् की देय होगी, उसका भुगतान द्वितीय पक्षकार वहन करेगा व समय-समय पर जमा करायेगा।
7. यह कि आवंटन से अंतरण बाबद अंतरण शुल्क द्वितीय पक्षकार वहन करेगा। अंतरण की प्रक्रिया में प्रथम पक्षकार अपेक्षित सहयोग हेतु वचनबद्ध है एवं रहेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्षकार यह शपथपूर्वक घोषणा करता है कि योजना क्रमांक ..... के संपत्तिक्रमांक.. ..... के आवंटन से अंतरण हेतु मैंने पत्रक प्राधिकारी में प्रस्तुत किये हैं, वह मेरी पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही व सत्य है, यदि किसी भी प्रकार से उक्त प्रपत्र गलत साबित होते हैं तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

9. यह कि द्वितीय पक्षकार के नाम से उक्त संपत्ति आवंटन से अंतरण किए जाने से मुझ प्रथम पक्षकार को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

यह संयुक्त शपथ-पत्र पूर्ण होशो-हवास, राजी-खुशी से लिख, पढ़, सुन, समझ लिया है ताकि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत काम आवें ।

इन्दौर, दिनांक .....

<u>शपथगृहिता प्रथम पक्षकार</u>	<u>शपथगृहिता द्वितीय पक्षकार</u>
.....	.....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

सत्यापन-लेख

हम ....., प्रथम पक्षकार एवं .....  
 ....., द्वितीय पक्षकार सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त अनुसार प्रस्तुत  
 जानकारियां हमारी व्यक्तिगत जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सही व सत्य है । हमारे द्वारा कोई भी तथ्य  
 छिपाया नहीं गया है । यह शपथ-पत्र आज दिनांक ..... को सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया जा रहा है  
 ।

इन्दौर, दिनांक .....

<u>शपथगृहिता प्रथम पक्षकार</u>	<u>शपथगृहिता द्वितीय पक्षकार</u>
.....	.....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

## आवंटन से अंतरण हेतु क्रेता का इकरारनामा

प्रपत्र क्रमांक : इकरारनामा-21.3

(रूपये 1000/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं.....निवासी..... आवंटन से अंतरण के संबंध में इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर के पक्ष में निम्नलिखित इकरारनामा लिख देता हूँ/ देती हूँ कि :-

1. यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... का संपत्ति क्रमांक ..... जिसका अंदाजन क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर है, ..... निवासी ..... को ..... प्रयोजन हेतु आवंटित है।
2. यह कि मूल आवंटिती अपनी स्वेच्छा से उक्त संपत्ति मेरे नाम से कब्जा सहित/रहित आवंटन से अंतरण करवाना चाहता है, यह मुझे स्वीकार है।
3. यह कि उक्त संपत्ति जिन शर्तों पर अर्थात् निविदा-प्रपत्र, आवंटन-विलेख तथा इकरारनामा की शर्तों पर मूल आवंटिती को आवंटित है, उसकी पूर्ण माहिती मुझे है एवं वे समस्त शर्तें मुझ पर बंधनकारक हैं एवं मैं उनका पालन करूंगा। ऐसा न करने की दशा में प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
4. यह कि म.प्र. विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018 तथा विनियम 2018 का मुझको ज्ञान है एवं वे मुझ पर बंधनकारी होंगे।
5. यह कि आवंटन से संबंधित विक्रय अनुबंध विलेख(Sale Agreement) को भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित स्टॉम्पित एवं पंजीकृत दस्तावेज पंजीयन कार्यालय इन्दौर से पंजीकृत कराकर कार्यालय में आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जो मुझे स्वीकार है।
6. उक्त संपत्ति के संबंध में प्राधिकारी अथवा शासन भविष्य में कोई अन्य नियम, विनियम इत्यादि बनाता है तो वह भी मुझ पर बंधनकारक होंगे।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता ..... .....	

## आवंटन से अंतरण हेतु क्रेता का अभिवचन पत्र

प्रपत्र क्रमांक : अभिवचन-21.4

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

मैं.....निवासी..... यह अभिवचन पत्र लिखकर देता/  
देतीहूँ कि:-

1. प्राधिकरण की योजना क्रमांक ..... का संपत्ति क्रमांक.....के मूल आवंटिती .....  
..... निवासी ..... अपनी  
स्वेच्छा से उक्त संपत्ति मेरे पक्ष में आवंटन से अंतरण करवाना चाहता/ चाहती हूँ यह मुझे स्वीकार है।

2. उक्त संपत्ति के आवंटन से अंतरण के संबंध में, मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी के संकल्प क्रमांक 09 दिनांक 21.02.2019 अनुसार समझौता शुल्क की राशि जमा की जावेगी, फिर भी समझौता शुल्क की राशि के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश व नियमों में भविष्य में कोई संशोधन किया जाता है, तो इस अनुसार यदि पूर्व दिनांक से कोई राशि देय होगी तो यह अभिवचन देता हूँ कि उस अनुसार यह अतिरिक्त बड़ी हुई राशि मैं देने को तत्पर रहूँगा। यदि उक्त राशि प्राधिकरण में मांग पत्र 30 दिन में, मेरे द्वारा जमा नहीं की जाती है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह संपत्ति के आवंटन को रद्द कर सकेगा एवं बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जावेगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व के बकाया के बतौर वसूल करने के लिए कार्यवाही करें।

इन्दौर दिनांक .....

गवाह:	हस्ताक्षर
1) हस्ताक्षर..... नाम व पता..... .....	.....
2) हस्ताक्षर..... नाम व पता ..... .....	.....

**आवंटन से अंतरण हेतु विक्रेता द्वारा दिया जाने वाला अनापत्ति पत्र**  
(अनापत्ति-21.5(क), अनापत्ति-21.5(ख) अथवा अनापत्ति-21.5(ग) में से कोई एक संलग्न करें।)

**प्रपत्र क्रमांक : अनापत्ति-21.5(क)**

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

\* विक्रेता का नवीनतम  
पासपोर्ट आकार का फोटो  
यहाँ चस्पा करें।  
\* विक्रेता के स्व-हस्ताक्षर  
से सत्यापित भी किया जावे।

विषय :आवंटन से अंतरण हेतु अनापत्ति।

संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति मेरे द्वारा पंजीकृत विक्रय लेख दिनांक.....द्वारा श्री/श्रीमती..  
..... के नाम पर कर दी गई है।

उक्त संपत्ति प्राधिकारी अभिलेख में मेरे नाम के स्थान पर श्री/श्रीमती.....  
.....का नाम दर्ज करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति  
नहीं है।

आवंटिती/अंतरिती के हस्ताक्षर .....

आवंटिती/अंतरिती का नाम .....

वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता .....

मोबाईल नंबर .....

आधार नंबर .....

ई-मेल आई.डी. ....



# आवंटन से अंतरण हेतु प्रथम आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय करने पर दिया जाने वाला अनापत्ति पत्र

(अनापत्ति-21.5(क), अनापत्ति-21.5(ख) अथवा अनापत्ति-21.5(ग) में से कोई एक संलग्न करें।)

**प्रपत्र क्रमांक : अनापत्ति-21.5(ख)**

\* आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।

\* आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :आवंटन से अंतरण हेतु आम मुख्त्यार की अनापत्ति।

संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....  
.....द्वारा भूखण्ड से संबंधित सभी कार्यवाही करने हेतु मुझे आम मुख्त्यार नियुक्त कर आम मुख्त्यार पत्र दिनांक.....को पंजीकृत करवाया था। मुझे संपत्ति को विक्रय करने के अधिकार प्राप्त थे। मैंने उक्त संपत्ति क्रेता श्री/श्रीमती.....  
को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा विक्रय कर दी है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है।

प्राधिकारी अभिलेख में उक्त संपत्ति का नामांतरण क्रेता श्री/श्रीमती.....  
.....के नाम पर करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप अनुसार शपथ पत्र (नोटरी तस्दीक) एवं स्वयं का पासपोर्ट फोटो संलग्न प्रस्तुत कर रहा/ रहीहूँ।

संलग्न :1- विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति

2- शपथ पत्र व फोटो.

अधिकृत आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर .....

अधिकृत आम मुख्त्यार का नाम .....

वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता .....

.....

मोबाईल नंबर .....

आधार नंबर .....

ई-मेल आई.डी. ....

# आवंटन से अंतरण हेतु द्वितीय आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय करने पर दिया जाने वाला अनापत्ति पत्र

(अनापत्ति-21.5(क), अनापत्ति-21.5(ख) अथवा अनापत्ति-21.5(ग) में से कोई एक संलग्न करें।)

**प्रपत्र क्रमांक : अनापत्ति-21.5(ग)**

\* आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।

\* आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय :आवंटन से अंतरण हेतु आम मुख्त्यार (द्वितीय आम मुख्त्यार) की अनापत्ति।

संदर्भ :योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

---

निवेदन है कि संदर्भित संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....  
.....द्वारा पंजीकृत आम मुख्त्यारनामा दिनांक.....द्वारा श्री/श्रीमती.  
.....को उक्त संपत्ति बाबद आम मुख्त्यार  
नियुक्त किया था। इन्होंने पंजीकृत मुख्त्यारनामा दिनांक.....से मुझे उक्त संपत्ति बाबद आम  
मुख्त्यार नियुक्त किया है। आम मुख्त्यारनामे में संपत्ति को विक्रय करने के अधिकार प्राप्त है। मैंने उक्त  
संपत्ति पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा क्रेता श्री/श्रीमती.....  
.....को विक्रय कर दी है।

प्राधिकारी अभिलेख में उक्त संपत्ति का नामांतरण क्रेता श्री/श्रीमती.....  
.....के नाम पर करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।  
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप अनुसार शपथ पत्र (नोटरी तस्दीक) एवं स्वयं का पासपोर्ट  
फोटो संलग्न प्रस्तुत कर रहा/ रहीहूँ।

संलग्न :1- शपथ पत्र व फोटो  
2- प्रथम आ.मु.की मूल प्रति.

अधिकृत आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर .....

अधिकृत आम मुख्त्यार का नाम .....

वर्तमान/पत्र व्यवहार का पता .....

.....

मोबाईल नंबर .....

आधार नंबर .....

ई-मेल आई.डी. ....

## मूल आवंटिती द्वारा आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण

प्रपत्र क्रमांक : हस्ताक्षर प्रमाण-21.6

- \* प्रथम आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।
- \* प्रथम आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

प्रति,  
संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण,  
इन्दौर

विषय : आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण बाबद्।

संदर्भ : योजना क्रमांक-.....संपत्ति क्रमांक-.....

संदर्भ क्रमांक-

--	--	--	--	--	--	--	--

संदर्भित संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....द्वारा पंजीकृत आम मुख्त्यारनामा दिनांक.....द्वारा श्री/श्रीमती.....को आम मुख्त्यार नियुक्त किया है। आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर मेरे द्वारा प्रमाणीकृत है।

हस्ताक्षर प्रथम आम मुख्त्यार

.....

प्रमाणीकरण

.....  
मूल आवंटिती/राजपत्रित अधिकारी

नाम-.....

पता-.....

—अथवा—

(प्रथम आम मुख्त्यार द्वारा द्वितीय आम मुख्त्यार के हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण)

- \* द्वितीय आम मुख्त्यार का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ चस्पा करें।
- \* द्वितीय आम मुख्त्यार के स्व-हस्ताक्षर से सत्यापित भी किया जावे।

उक्त संपत्ति के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती.....द्वारा पंजीकृत आम मुख्त्यारनामा दिनांक.....के द्वारा मुझ आम मुख्त्यार नियुक्त किया है। मेरे द्वारा श्री/श्रीमती.....को पंजीकृत मुख्त्यारनामा दिनांक.....से आम मुख्त्यार नियुक्त किया है एवं इनके हस्ताक्षर प्रमाणीकृत है।

हस्ताक्षर द्वितीय आम मुख्त्यार

.....

प्रमाणीकरण

.....  
प्रथम आम मुख्त्यार/राजपत्रित अधिकारी

# आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय करने की स्थिति में दिये जाने वाले शपथपत्र

प्रपत्र क्रमांक : शपथ-21.7

(नोटरीकृत : रूपये100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

(प्रथम/द्वितीय आम मुख्त्यार द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन की स्थिति में अनिवार्य रूप में संलग्न किया जाना है।)

- 1- मैं शपथगृहिता शपथ पर कथन करता/ करतीहूँ कि :-  
योजनाक्रमांक..... संपत्ति क्रमांक.....के मूल आवंटिती श्री/श्रीमती-.....  
.....निवासी-.....  
.....ने इस संपत्ति के लिये पंजीकृत आम मुख्त्यार दिनांक.....  
.....द्वारा मुझे आम मुख्त्यार नियुक्त किया है। आम मुख्त्यार की हैसियत से मैं यह लिख  
देता/ देतीहूँ कि :-  
मेरा पूरा नाम: .....  
आयु : .....वर्ष  
व्यवसाय : .....  
पता : .....
- 2- यह कि शपथकर्ता का उक्त भूमि में कोई भी हित नहीं है और न ही रहेगा।
- 3- यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त संपत्ति के लिये प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तें मान्य की जावेगी।
- 4- यह कि शपथकर्ता उक्त संपत्ति को न्यासी के रूप में धारण करेगा एवं स्वयं के लिये उपयोग नहीं होगा।
- 5- यदि भविष्य में किसी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो प्राधिकारी को उक्त संपत्ति का आवंटन निरस्त कर जप्त करने का अधिकार होगा।
- 6- यह कि शपथ पत्र मेरे द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करने हेतु दिया जा रहा है।
- 7- यह कि उक्त संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार मझ पर आम मुख्त्यार के प्रदत्त किया गया होने से उक्त संपत्ति मेरे द्वारा क्रेता श्री/श्रीमती-.....  
.....को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक.....द्वारा विक्रय की गई है। पंजीकृत  
विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता श्री/श्रीमती-.....  
.....के पक्ष में उक्त संपत्ति पर नाम दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे  
द्वारा उक्त संपत्ति क्रेता श्री/श्रीमती-.....के  
अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को विक्रय करने का सौदा तथा इकरारनामा नहीं किया है।
- 8- यह कि मूल आवंटिती/अंतरिती वर्तमान में जीवित है तथा मूल आवंटिती द्वारा निष्पादित आम  
मुख्त्यारनामा भी विक्रय पत्र दिनांक.....को प्रभावशील था।
- 9- यह कि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद या कोई दावेदार खड़ा हुआ तो  
उसके निराकरण की जवाबदारी मेरी रहेगी।

शपथगृहिता

सत्यापन लेख

मैं .....सत्यापित करता/ करतीहूँ कि मेरे  
द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत, जानकारी एवं विश्वास में सत्य है और इसमें कोई भी असत्य  
नहीं है और न ही छिपाया गया है।

शपथगृहिता

## आवंटन से अंतरण हेतु क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र

**प्रपत्र क्रमांक : शपथ-21.2(ख)\***

(नोटरीकृत : रुपये 100/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

(\*प्रपत्र क्रमांक : अंतरण-21.2(क) अथवा अंतरण-21.2(ख) में से कोई एक प्रस्तुत करें।)

(योजना क्रमांक 78 अरण्य के कोर हाउस/एल.आय.जी.भूखण्डों के अंतरण के प्रकरणों हेतु)

मैं शपथगृहिता शपथपूर्वक कथन करता/ करती हूँ कि -

- 1- मेरा नाम : .....
- पिता का नाम : .....
- धंधा : .....
- उम्र : .....
- निवासी : .....
- मासिक आय : .....

- 2- यह कि मेरे द्वारा योजना क्रमांक 78 अरण्य में कोर हाउस/निम्न आय वर्ग का भूखण्ड क्रमांक.....दिनांक.....को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया गया है। उस समय मैं ..... व्यवसाय/नौकरी करता था, तब मेरी मासिक आय रुपये.....थी जो आर्थिक रूप से कमजोर/निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आती है। इसी आधार पर मैं इन्दौर विकास प्राधिकरण में उक्त भूखण्ड क्रय कर मेरे नाम पर आवंटन से अंतरण करवा रहा/ रही हूँ। यदि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवंटन से अंतरण की कार्यवाही में अथवा भूखण्ड आवंटन से अंतरण होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्शाई गई तो उसके लिये मैं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी एवं इन्दौर विकास प्राधिकरण पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने दूँगा/ दूँगी एवं नुकसान नहीं होने दूँगा/ दूँगी।

शपथगृहिता

### सत्यापन लेख

मैं .....सत्यापित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरी व्यक्तिगत, जानकारी एवं विश्वास से सत्य है और उसमें कोई भी असत्य नहीं है और न छिपाया गया है।

शपथगृहिता

## आवंटन से अंतरण हेतु क्रेता द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति लेख

प्रपत्र क्रमांक : क्षतिपूर्ति-21.8

(नोटरीकृत : रुपये 500/-के नॉन ज्युडि. स्टाम्प)

(योजना क्रमांक 78 अरण्य के कोर हाउस/एल.आय.जी.भूखण्डों के अंतरण के प्रकरणों हेतु)

मैं यह क्षतिपूर्ति लेख इन्दौर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ  
कि -

- 1- मेरा नाम : .....  
पिता का नाम: .....  
धंधा : .....  
उम्र : .....  
निवासी : .....  
मासिक आय : .....
- 2- यह कि मेरे द्वारा योजना क्रमांक 78 अरण्य में कोर हाउस/निम्न आय वर्ग का भूखण्ड क्रमांक ..  
..... दिनांक.....को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर  
क्रय किया गया है।
- 3- यह कि उक्त भूखण्ड माह/वर्ष.....में न्यूनतम/ पूर्ण निर्माण होने के  
बाद ही मेरे द्वारा क्रय किया गया है। निम्न आय वर्ग के भूखण्ड का नक्शा नगर निगम द्वारा  
दिनांक.....को स्वीकृत किया गया है, जिस अनुसार मौके पर निर्माण कार्य है।
- 4- यह कि यह भूखण्ड मेरे द्वारा आवंटिती/मूल आवंटिती द्वारा नियुक्त मुख्त्यार श्री.....  
.....से क्रय किया गया है। उक्त भूखण्ड के लिये अन्य  
किसी व्यक्ति द्वारा कोई हक/अधिकार जताया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी एवं  
इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय लिया जावेगा, वह मुझ पर  
बंधनकारक होगा।

हस्ताक्षर निष्पादक

नाम-.....

## मासिक आय/निम्न आय वर्ग के प्रमाण पत्र का प्रारूप

**प्रपत्र क्रमांक : अंतरण-21.9**

(योजना क्रमांक 78 अरण्य के कोर हाऊस/एल.आय.जी.भूखण्डों के अंतरण के प्रकरणों हेतु)

पत्र क्रमांक :

दिनांक :

### प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
पिता/पति श्री..... निवासी-.....  
.....द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर माह.....वर्ष.....में  
इनके परिवार की कुल मासिक आय रुपये.....प्रतिमाह थी, जिसके आधार पर  
श्री/श्रीमती.....आर्थिक रूप से कमजोर/निम्न आय वर्ग की श्रेणी  
में आते हैं।

प्रमाणीकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-.....

पदनाम-.....

## आवंटन से अंतरण हेतु संलग्न दस्तावेजों की सूची

सूची क्रमांक : संलग्न-21.10

संलग्न क्रमांक	संलग्न दस्तावेजों का विवरण एवं चेकलिस्ट	(√)
संलग्न-1	आवेदक तथा आवंटिती / अंतरिती के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित पृथक-पृथक छायाप्रतियाँ	
संलग्न-2	यदि आवंटित संपत्ति आरक्षित श्रेणी की है तो आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि	
संलग्न-3	संपत्ति पेटे जमा किश्तों एवं लीज जमा रसीद की फोटोकॉपी	
संलग्न-4	प्राधिकारी कार्यालय से जारी आवंटन पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
संलग्न-5	पंजीकृत (कब्जा रहित) विक्रय अनुबन्ध-विलेख की प्रमाणित प्रति	
संलग्न-6	नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे को छायाप्रति	
संलग्न-7	भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र	
संलग्न-8	आम मुख्यारनामे की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि	
संलग्न-9	संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो	

**1. आवेदक तथा आवंटिती / अंतरिती के आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-1

**2. यदि आवंटित संपत्ति आरक्षित श्रेणी की है तो आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपियहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-2

**3. संपत्ति पेटे जमा किश्तों एवं लीज जमा रसीद की फोटोकॉपीयहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-3

**4. प्राधिकारी कार्यालय से जारी आवंटन पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-4

**5. पंजीकृत (कब्जा रहित) विक्रय अनुबन्ध-विलेख की प्रमाणित प्रतियहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-5

**6. नगर निगम से स्वीकृत भवन निर्माण के नक्शे की छायाप्रतियहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-6

**7. भवन निर्माण साक्ष्य हेतु विद्युत स्थायी संयोजन का प्रमाण पत्र यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-7

**8. आम मुख्यारनामे की रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-8

**9. संपत्ति का नवीनतम दिनांकित फोटो यहाँ संलग्न करें।**

संलग्न  
अ.क्र.-9